₹ 10

www.kewalsachtimes.com

फरवरी 2026

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS-78

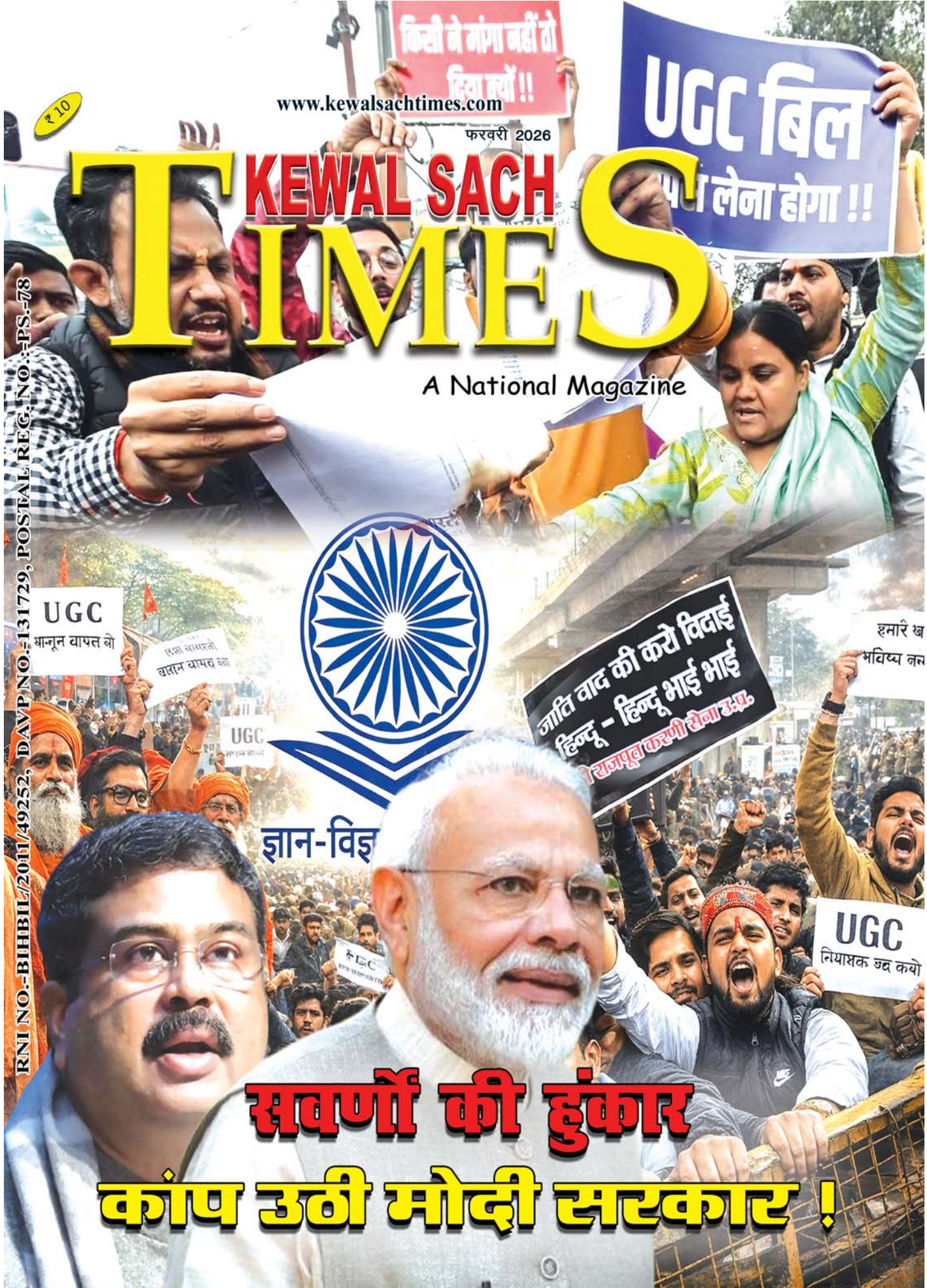

सवर्णों की हुंकार

कांप उठी मोदी सरकार !

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

जैकी श्रॉफ
01 फरवरी 1960

मनोज तिवारी
01 फरवरी 1971

ब्रह्मनंदम
01 फरवरी 1956

खुशवंत सिंह
02 फरवरी 1915

शमीता शेट्टी
02 फरवरी 1979

रघुराम राजन
03 फरवरी 1963

उर्मिला मांदोडकर
04 फरवरी 1974

अभिषेक बच्चन
05 फरवरी 1976

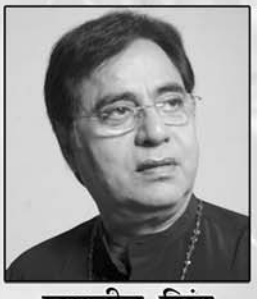

जगजीत सिंह
08 फरवरी 1941

मो० अजहरूद्दीन
08 फरवरी 1963

राहुल रॉय
09 फरवरी 1968

उदिता गोस्वामी
09 फरवरी 1984

कुमार विश्वास
10 फरवरी 1970

चौधरी अजीत सिंह
12 फरवरी 1939

स्व० सुषमा स्वराज
14 फरवरी 1952

टेकलाल महतो
15 फरवरी 1945

रणधीर कपूर
15 फरवरी 1947

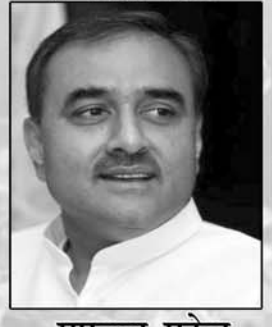

प्रफुल्ल पटेल
17 फरवरी 1957

स्व० जयललिता जयराम
24 फरवरी 1948

शाहीद कपूर
25 फरवरी 1981

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

कुंभकर्णी नींद से जागे

अंधभक्त

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

वर्ष 2026 की बधाई के बजाय अब अंधभक्त अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर सोसल मीडिया पर काफी चिंतित दिख रहे हैं। भगवान की उपाधि से नवाजे जाने वाले PM मोदी एवं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को ब्राह्मण खासकर सवर्ण विलेन के रूप में देखने लगे हैं बल्कि उनका खुलेआम विरोध सड़क से संसद भवन तक शुरू हो चुका है। 2014 के बाद अब 2026 के वर्त्तमान दौर में **मन की बात** को अब **सवर्ण धोखे की बात** कहने लगे हैं। नया साल में मोदी एवं शाह की सरकार ने सवर्णो को UGC 2026 कानून बनाकर जोर का झटका जोर से दिया है जिसको लेकर देश के भीतर सवर्ण समाज के लोगों ने आन्दोलन शुरू किया है जिसको लेकर जातिवादी विचारधारा को बल मिला है और देश के अंदर गृहयुद्ध की स्थिति बनती दिख रही है। 2014 से लेकर आज तक मोदी की हर एक योजना पर साथ देने वाला सवर्ण अचानक से अंधभक्ति निद्रा से जाग उठा है और सोसल मीडिया सहित सड़कों पर अपनी बात को लेकर आन्दोलनरत हैं। **एक देश एक कानून** और **सबका साथ-सबका विकास** से अलग हटकर **फूट डालो राज करो** की नीति को लागू करके बटेंगे तो कटेंगे उलट बटना है और कटना है का जुगाड़ लगाते हुए जातिय उन्माद की बीज को 1990 के बाद फिर से 2026 में बो दी गई है। जिस मोदी की अंधभक्ति में सवर्ण अपनी माँ-बहन की गाली तक सुनने के बाद भी भक्ति से अलग नहीं हुए, वही सवर्ण UGC के मामले को लेकर मोदी को अपना कट्टर दुश्मन मान चुके हैं।

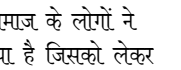

UGC 2026 कानून सवर्ण समाज के लिए श्राप बन चुका है और देश के सवर्ण एकजुट होकर इस कानून को वापस लेने के लिए आन्दोलन भी सड़क से लेकर सोसल मीडिया तक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भले ही यह कानून कुछ दिनों के लिए मन की तसल्ली दे पर मोदी सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। गुजरात से सीधे 2014 में देश की राजनीति में सक्रिय हुए मोदी को सवर्ण समाज ने घर - घर में पहुंचा दिया और मन की बात से लेकर उनकी हर एक बात को आदेश मानकर विपक्ष की राजनीति पर ग्रहण लगा दिया। SC/ST एक्ट का दंश झेल रहे सवर्ण और OBC एकजुट होकर केन्द्र की सरकार 2024 में बनाने में अहम भूमिका अदा की लेकिन सरकार की मंशा सरकार बनते ही बदल गई और धीरे-धीर SC/ST, OBC एक्ट बनाकर UGC 2026 लागू करके सवर्ण को भारत में अनाथ बना दिया। गलती न हो भी तब भी गुनहगार सवर्ण ही होगा का कानून ने भाजपा के भीतर के सवर्ण अंधभक्तों की आंख खोल दी। जातिय हिंसा को भड़काने की राजनीतिक साजिश को समझना होगा की एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अपने ही बनिया एवं ब्राह्म्ण मित्र को भारत छोड़ने का धमकी दे रहे हैं। 1947 के पहले जो काम (फुट डालो राज करो की नीति) अंग्रेज ने शुरू किया था लेकिन भारत की जनता ने उसके कूटनीति को ध्वस्त करके अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए 200 वर्ष की गुलामी से मुक्ति पायी थी, वह काम मोदी की सरकार ने UGC 2026 लाकर साबित कर दिया की हम अंग्रेज से ज्यादा पावरफुल बन चुके है और सवर्ण समाज को उनकी औकात दिखा दी। योग्यता पर अयोग्यता का हावि होना गुलामी की दिशा में पहला कदम है और आपसी फूट दूसरी, ऐसे में भारत का विश्वगुरू बनना तो दूर भारत ही श्रेष्ठ भारत बना रह जाये कहना बड़ा मुश्किल है। कमजोर को उठाने का मतलब किसी मजबूत को कमजोर बनाना है तो फिर एक मजूबत और दूसरा कमजोर होगा ही। सत्ता के सिंहासन पर काबिज रहने के लिए खूनी संघर्ष कहां तक जायज है? अज्ञानी आरक्षण के दम पर ज्ञानी हो सकता है? क्या लंगड़ा व्यक्ति का मुकाबला मजबूत व्यक्ति से जायज है? किसी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचे गिराकर संभव है? स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने वाले PM मोदी को यह याद नहीं की स्वामी विवेकानंद ने ही कहां था की आगे बढ़ना है तो सामने वाले की लकीर से लंबी लकीर खींचों न की सामने वाले का लाईन ही मिटा दो। 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की अंधभक्ति में डूबा सवर्ण को UGC 2026 आने के बाद ज्ञान हुआ कि उनकी अंधभक्ति उनके बच्चों के भविष्य का गला घोट रही है। UGC 2026 का कानून आने के बाद शिक्षा का स्तर घटेगा क्योंकि सवर्ण छात्रों को यह लगेगा की पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब। विपक्ष के तमाम अच्छी बातों को भी नजरअंदाज करने वाला सवर्ण को अब मोदी एवं शाह की कूटनीति समझ में आने लगी है। जिस देश का प्रधान यह बोले की मैं पिछड़ा हूं उस देश की नागरिक कैसे अगड़ा हो सकता है? UGC 2026 के बाद सवर्ण वोटर तो अंधभक्ति से बाहर निकलते दिख रहे हैं लेकिन सत्ता एवं पदलोलुप्ता के भंवर में फंसे सांसद एवं विधायक अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में है और मोदी की चाटुकारिता में यह कहते नजर आ रहे हैं कि 10 प्रतिशत का आरक्षण मोदी जी ने ही दिया है ऐसे में UGC 2026 कानून पर विचार किया जायेगा और किसी का शोषण नहीं होगा, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कानून की आवश्यकता ही क्या था? आरक्षण की दुहाई देकर राजनीति करने वाले विभिन्न राजनीति दलों ने यह कभी नहीं की अब आरक्षण जाति एवं धर्म के बजाय गरीबी को दिया जाये। मुस्लिम, दलित, आदीवासी राष्ट्रपति के पद पर काबिज हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी अगर बराबरी का संदेश देश के भीतर नहीं पहुंचा तो निश्चित तौर पर सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं और उनको कमजोर एवं लाचार बनाये रखने का षडयंत्र जारी है। क्या किसी की DNA बदला जा सकता है? UGC 2026 कानून आने के बाद कांग्रेस एवं तमाम विपक्षी पार्टियां खुश हैं कि जिस सवर्ण को हमलोग तमाम प्रलोभन देकर भी मोदी के विरोधी नहीं बना सके, वह काम स्वयं PM मोदी ने UGC 2026 लाकर बना दिया है। सिर्फ बसपा प्रमुख मायावती ने सवर्ण के पक्ष में कहा है कि सवर्ण भी गरीब हैं। अंधभक्ति की राजनीति का दौर समाप्त होता देख भाजपा के सवर्ण सांसद अपने सवर्ण समाज के लोगों की समझाने में जुटे हैं कि आपलोग अंधभक्ति को नहीं छोड़े और किसी को शोषण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर UGC 2026 पर रोक नहीं लगाता तो निश्चित तौर पर देश के भीतर आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक माहौल उत्पन्न हो जाता और बटेंगे तो कटेंगे की बात सच साबित हो जाती। अगर संख्या की राजनीति भी होगी तो सवर्ण अल्पसंख्यक से भी कम संख्या में है और उनकी मांग है की उनको अल्पसंख्यक घोषित करते हुए सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ उसको मिले। चर्चा का बाजार यह भी है कि मोदी के बाद PM के पद के लिए योगी नंबर वन पर हैं ऐसे में शाह के लिए यह मुश्किल हो सकता है और जब सवर्ण तनाव में रहेगा तो योगी से UGC 2026 को लेकर मोह भंग होगा। सोसल मीडिया पर साफतौर पर मोदी की अंधभक्ति समाप्त होती दिख रही है।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 15, अंकः- 176 माहः- फरवरी 2026 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जनवरी 2026

चिराग

मिश्रा जी,

जनवरी 2026 अंक में अमित कुमार की खबर ''**जिस पानी से बुझती थी प्यास उसने घरों के चिराग बुझा दिए**'' में मध्यप्रदेश सरकार की प्रशासनिक करतूतों को बहुत बारीकी से पाठकों के बीच रखा है। प्रदूषित जल ने कई लोगों की जान ले ली है। इंदौर में दूषित पानी का कहर की वजह से हजारों लोग अस्पताल में भर्ती है। जब तक किसी भी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता तब तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। खबर पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन यादव की सरकार में संवेदना ही नहीं बची है। इस खबर पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

● **सुजीत पाठक, रेलवे कॉलोनी, इंदौर एम.पी**

प्रयागराज

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स, पत्रिका राजनीतिक खबरों को पूरी प्राथमिकता के साथ सटीक समीक्षा करती है। जनवरी 2026 अंक में ''**धर्मनगरी प्रयागराज में गरमाई राजनीति**'' खबर में माघ मेला में संतों एवं प्रशासन के बीच चली कूटनीति एवं राजनीति ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में काफी कोहराम मचा हुआ हुआ है और संत एवं ऋषियों ने योगी सरकार में खुद को कांग्रेस की सरकार की तरह उपेक्षित महसूस कर रही है। विपक्ष इस बात को लेकर खुश है कि उसके बगैर भाजपा के विरूद्ध हिन्दूछवि के लोगों ने योगी सरकार को घेर लिया है। यह खबर काफी सटीक एवं ज्वलंत है।

● **मनोहर सिन्हा, अस्सी घाट, बनारस, यूपी**

अन्दर के पन्नों में

31

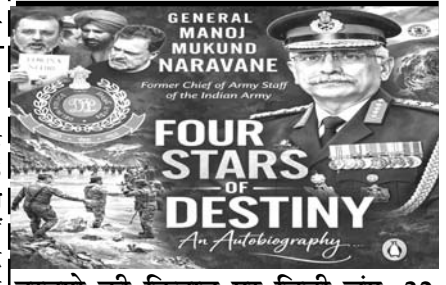

नरवणे की किताब पर छिड़ी जंग...32

38

India's First Bullet Train...41

मोदी-शाह

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के संपादकीय मुझे काफी सटीक और निर्भीक लगता है। देश के सर्वोच्च नेताओं पर भी व्यंग्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है आपका कलम। जनवरी 2026 अंक के संपादकीय ''**भाजपा मतलब मोदी - शाह**'' में आपने वर्त्तमान समय में पार्टी पर जिस प्रकार का कब्जा इन दोनों नेताओं का है और संघ को भी दरकिनार करके कोई भी फैसला लेने में संकोच करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाकर यह साबित कर दिया है कि मोदी एवं शाह के सामने संघ भी अब बौना दिखने लगा है और संघ प्रमुख भी मोदी एवं शाह के अनुसार चलने लगे हैं। आपका संपादकीय वास्तव में सच्चाई और गहराई पर आधारित होता है।

● **महेन्द्र पाल सिंह, करोल बाग, नई दिल्ली**

बुलडोजर

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका भी केवल सच की तरह बेबाक लेखनी को पाठकों के बीच रखती है। फरवरी 2026 अंक में संजय कुमार सिन्हा की खबर ''**अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश में बुलडोजर एक्शन पर बबाल**'' में अतिक्रमण के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद कॉलोनी पर चल रहे बुलडोजर ने दिल्ली की राजनीति को गरम कर दी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्थित फैज ए इलाही मस्जिद के सटे दवा एवं बारात घर को गैरकानूनी घोषित किया था जिससे पुलिस एक्शन में आई लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पत्थराव किया लेकिन पुलिस ने अपना बल और बुलडोजर ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सटीक खबर ऐसे ही लिखते रहें।

● **रौशन सिंह, अशोक नगर, नई दिल्ली**

बाटने की साजिश

मिश्रा जी,

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका नियमित पाठक हूं। जनवरी 2026 अंक में यूजीसी 2026 कानून को लेकर देश के भीतर गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है और भाजपा के सवर्ण नेता आम सवर्णो को यह समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह कानून देशहित में है और लोगों को समझना चाहिए कि बेवजह का हंगामा करने से देश का अहित ही होगा। यूजीसी कानून ने सवर्ण युवाओं के भविष्य को रोदने का काम किया जा रहा है ताकि युवाओं का मानसिक स्थिति बद से बद्तर हो जाये। अमित कुमार ने अपनी खबर में सरकार एवं उनके सांसद एवं मंत्री की बातों को भी पूरी गंभीरता के साथ लिखते हुए अपनी बातों को भी प्राथमिकता से लिखा है।

● **संजय पासवान, मानपुर बाजार, गया**

UGC

ब्रजेश जी,

UGC Bill **2026 अगड़ा बनाम पिछड़ा की सोची समझी राजनीति**'' के अमित कुमार के आलेख में वह सारी सच्चाई पटल पर रखी गई है जो देश के भीतर काफी गृहयुद्ध वाली स्थिति को उत्पन्न करती नजर आ रही है। यूजीसी बिल ने हिन्दू को ही अपने देश में जातिवाद के नाम पर खंडित करने की राजनीतिक विसात को बिछा दी है और अगड़ा-पिछड़ा और दलित के बीच भाईचारे को ध्वस्त कर दी है। अल्पसंख्यक राजनीति के सूरमा को अब हिन्दूओं को तोड़ने में मधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी जैसा माहौल भी देखने को मिल रहा है। ऐसा कानून जो देश को कई टुकड़ों में विभाजित करने के लिए तैयार है और कब खूनी संघर्ष शुरू हो जाये कहना मुश्किल है।

● **पंकज चटर्जी, बाबू बाजार, कोलकात्ता, पं.बं.**

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**

सवर्णों की हुंकार कांप उठी मोदी सरकार

● अमित कुमार

जब पेट खाली हो, भविष्य धुंधला, तब जाति का गर्व नहीं बल्कि रोटी की लड़ाई सबसे बड़ी होती है और आज केन्द्र की मोदी सरकार ने छात्रों को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां काबिलियत पर नहीं बल्कि पहचान पर लड़ने को मजबूर है। यूजीसी के जरिए जो जातिगत झुनझुना घुमाया गया है, उसपर यह सवाल उठता है कि क्या इसका मकसद सीधे तौर पर युवाओं की एकता को तोड़ना है, जो बीते सालों से पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ एक सुर में बोलने लगे थे। अंग्रेज भी ऐसे ही आए थे। आपस में लड़ा दिया था। लड़ते रहे। दो सौ साल उनके मजे में निकल गए, तो यह सवाल डाउट होता है कि अगर सारे युवा एक साथ मिलकर रोजगार मांगते तो प्रेशर तो आ ही रहा था। क्या इसीलिए जात की दीवार खड़ी कर दी गई कि हक मांगने के बजाय एक दूसरे की जात गिनाने में उलझ जाएं, और फिर साथ कभी नजर ना आएं। यूजीसी का इस्तेमाल आज उन संस्थानों को राजनीति का आखाड़ा बनाने के लिए किया गया है जो कभी अपनी मर्जी, आजादी से चलते थे। रिसर्च के विषयों से लेकर प्रोफेसरों की भर्ती तक हर चीज आज विचारधारा के ठप्पे पर है। शिक्षा के मंदिर को विचारधारा की फैक्टरी बना दिया गया है। जिन युवाओं को दुनिया के बाजार में काबिलियत दिखानी थी, अब कैंपस की गलियों में पहचान बचाने की लड़ाई में झोंक दिया गया है।

बहरहाल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने के लिए नया इक्विटी कानून लागू किया गया है। इसके तुरंत बाद छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। क्या है यूजीसी का इक्विटी कानून और क्यों हो रहा इसका विरोध? उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए इक्विटी नियम अब देशभर में बहस और टकराव की वजह बनते जा रहे हैं। 13 जनवरी से लागू 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026' को जहां शैक्षणिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनरल कैटेगरी के छात्रों के बीच इसे लेकर गहरी नाराजगी उभरकर सामने आ रही है। छात्रों का एक वर्ग आशंका जता रहा है कि यह नियम कहीं योग्यता, अवसर और

निष्पक्षता के सिद्धांतों को प्रभावित न कर दे। युवा अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधि वक्ताओं ने इन नियमों को संविधान की समानता और समान अवसर की भावना के विरुद्ध बताया। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जांच के नाम पर बनाए गए नियम किसी वर्ग विशेष को प्रभावित कर सकते हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार के निर्णय बिना व्यापक संसदीय बहस और सामाजिक सहमति के लिए जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दरअसल इसमें खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। नए नियम के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समानता समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। समिति हर छः महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है, ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहे। यूजीसी के नए रेगुलेशन लागू होने के बाद छात्रों के बीच असंतोष बढ़ गया है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। इसी चिंता के चलते जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर 'सवर्ण समाज समन्वय समिति' का गठन किया है, ताकि रेगुलेशन के खिलाफ संगठित विरोध किया जा सके। यूजीसी ने नए ईक्विटी नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई

की जाएगी। इसमें संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और संस्थान की मान्यता रद्द करना शामिल है। साथ ही यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का तरीका भी बताया गया है। नियमों के अनुसार, कोई भी पीड़ित छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वह अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में भी दे सकता है। अगर मामला गंभीर और आपराधिक है, तो उसे सीधे पुलिस के पास भेजा जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह एक महीने के भीतर कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनाए गए ऑम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। वहां तय समय में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, यूजीसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का रैंडम इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी मांगेगा, ताकि नियम सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके।

गौरतलब है कि यूजीसी की गाइडलाइन्स के बाद देश में जनरल कैटेगरी नाराज थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन गलती सरकार की थी कि जब ये गाइडलाइन्स तैयार हो रही थी या जो इनको तैयार करवा रहे थे, उस पर सरकार की नजर क्यों नहीं थी? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे थे? इसके साथ ही यह जानकर हैरानी होंगी कि यूजीसी की गाइडलाइन्स का ड्राफ्ट तैयार करवाने में एक अहम भूमिका निभाई हैं, इंदिरा जयसिंह नाम की लॉयर ने। जब इनके बारे में आप इतिहास जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये इंदिरा जयसिंह वही हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए पिटीशन दायर करवाई थी कि उनकी फांसी रोक दी जाए। अफजल गुरु वही है जिसने 2001 में संसद पर हमला करवाया था। इंदिरा जयसिंह वही हैं, जो उस टीम में शामिल थी जो याकूब मेनन की फांसी भी रुकवाने के लिए आधी रात को अदालत खुलवा रहे थे। लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी। इंदिरा जयसिंह वही हैं जो निठारी कांड (जो बच्चों को मार के खा जाता था) का आरोपी था सुरेंदर कोहली। इसको छुड़वाने में भी रोल निभाया है। इंदिरा जयसिंह वही हैं, जो वर्तमान में कह रही हैं कि शारीरिक संबंध बनाने की जो उम्र है वो मिनिमम अठारह से घटाकर के सोलह कर दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण हो रहे हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंदिरा जयसिंह वही हैं, जिन्होंने सेक्शन 377 लागू कराने में पूरी ताकत लगा दी। जिससे होमोसेक्सुअलिटी ज्यादा से ज्यादा इस देश में हो। इंदिरा जयसिंह ने तो निर्भया के आरोपियों को फांसी न हो जाए, उसका भी प्रयास किया था और निर्भया की मां से बोला था कि सोनिया गांधी से सीखते हुए आरोपियों को क्षमा कर दो, जिससे इन्हें फांसी न हो जाए। तब निर्भया के पेरेंट्स ने गुस्सा निकालते हुए कहा था कि इंदिरा जयसिंह ऐसा सजेशन दे रही हैं। निर्भया कांड तो हम सबने सुना है कि

धर्मेन्द्र प्रधान

इंदिरा जयसिंह

2012 में किस तरह से दिल्ली की एक बस में तेईस साल की लड़की के साथ बर्बरता की गई थी, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। ऐसे आरोपियों की फांसी को भी बचाने का प्रयास कर रही थी इंदिरा जयसिंह और इंदिरा जयसिंह को तो सोनिया गांधी जैसे लोग भी पसंद करते थे। सोनिया गांधी ने इंदिरा जयसिंह को 2009 से 2014 तक एडिशनल सोलिसिटर जनरल बनाकर रखा था, फिर 2014 में मोदी सरकार ने हटाया था। इसके साथ ही इंदिरा जयसिंह एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका नाम है लॉयर्स कलेक्टिव। इस एनजीओ पर आरोप है कि 377 में भी भूमिका निभाई है। कई रोहिंग्या को सिटीजनशिप मिल जाए, इसमें भी भूमिका निभाई है और सीएए के तहत हमारे पड़ोसी देशों से आने वाले हिंदुओं को जो नागरिकता मिल रही थी, वो न मिले, इस पर भी कोशिश करी है और सबसे बड़ी बात, इस एनजीओ को 2007 से 2014 के बीच बत्तीस करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग प्राप्त हुई है और सबसे ज्यादा पैसा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि जॉर्ज सोरोस की है और फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त हुआ है। बाद में मोदी सरकार ने इनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया है, जिससे बाहर से फंडिंग प्राप्त ना हो। अब फंडिंग कहां से आ रही है, पता नहीं। इस तरह के लोग न सिर्फ न्यायिक व्यवस्था में हैं, बल्कि रोमिला थापर, इरफान हबीब के रूप में हमें गलत हिस्ट्री की बुक्स भी पढ़ाते आए हैं, जिससे हमारी थिंकिंग गुलामों जैसी ही रहे।

बताते चले कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थानों के अंदर एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी उस संस्थान के अंदर एससी/एसटी या ओबीसी कैटगरी के छात्रों, शिक्षकों या गैर शिक्षण कर्मियों के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी शिकायतें सुनेंगी और तय समय-सीमा में उसका निपटारा करेगी। देश भर का सवर्ण समाज यूजीसी के इस नियम का विरोध कर रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस संसदीय समिति की सिफारिश पर यूजीसी ने यह कानून बनाया है, उसके अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं। उनके साथ इस समिति में कुल 30 सदस्य हैं जो संसद के दोनों सदनों के हैं। इनमें कई भाजपा के सांसद हैं और सवर्ण समाज से आते हैं। दरअसल, यह सिफारिश शिक्षा, महिला, बच्चों, युवा और खेल पर संसद की स्थाई समिति ने की है। इस समिति में 21 लोकसभा और 9 राज्यसभा के सांसद हैं। कुछ नाम तो चौंकाने वाले हैं। दलगत संख्या और प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस समिति में भाजपा के 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, तृणमूल के 2, सीपीएम के 1, डीएमके के 1, एनसीपी (अजीत गुट) के 1, एनसीपी (शरद गुट) के 1 और आम आदमी पार्टी की 1 पूर्व सदस्य हैं। इसे यूं कहें तो इस समिति में सत्ताधारी भाजपा के सदस्यों की संख्या 50 फीसदी से अधिक है। संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध नामों के मुताबिक इस समिति में राज्यसभा से दिग्विजय सिंह के अलावा भीम सिंह (भाजपा नेता, बिहार से राज्यसभा के सांसद) विकास रंजन भट्टाचार्य (सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद), घनश्याम तिवारी (भाजपा नेता, राजस्थान कोटे से राज्यसभा सांसद), रेखा शर्मा (भाजपा नेता और हरियाणा से राज्यसभा सांसद और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष), सी. सदानंदन मास्टर (केरल भाजपा के उपाध्यक्ष और केरल से राज्यसभा सांसद), सिकंदर कुमार (भाजपा नेता, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद), सुनेत्रा पवार (एनसीपी नेता और अजीत पवार की पत्नी, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद) और स्वाती मालीवाल (आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और दिल्ली से राज्यसभा सांसद) हैं। इसके अलावे इस समिति में लोकसभा सांसदों में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजित गंगोपाध्याय (भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल से सांसद), पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद, भाजपा नेता सह प्रवक्ता और ओडिशा की पुरी सीट से सांसद संबित पात्रा भी हैं। इनके अलावा बांसुरी स्वराज (भाजपा नेता और नई दिल्ली सीट से सांसद, अमर शरदराव काले (एनसीपी नेता, शरद पवार गुट), अंगोमचा बिमोल अकोईजाम (कांग्रेस पार्टी के नेता और मणिपुर से सांसद), बृजमोहन अग्रवाल (छत्तीसगढ़ से भाजपा के नेता और रायपुर लोकसभा सीट से सांसद), दग्गुबाती पूरनदेश्वरी (आंध्र प्रदेश में भाजपा की कद्दावर नेता और राजमुंद्र सीट से सांसद) दर्शन सिंह चौधरी (भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से सांसद) के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा अन्य सांसदों में डीएन कुरियाकोसे (कांग्रेस नेता और केरल की इडुक्की सीट से सांसद) वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (कांग्रेस नेता और मुंबई की उत्तर-मध्य सीट से सांसद), हेमांग जोशी (भाजपा नेता और गुजरात की वडोदरा सीट से सांसद), जितेंद्र कुमार दोहरे (समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की इटावा सीट से सांसद), जियाउर्रहमान बर्क (समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की संभल सीट से सांसद), राजीव राय (समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी की घोसी सीट से सांसद), कालिपाड़ा सरेन खेरवाल (तृणमूल

UGC के नए 'इक्विटी कमेटी' नियम: संसदीय समिति की संरचना और सिफारिशें

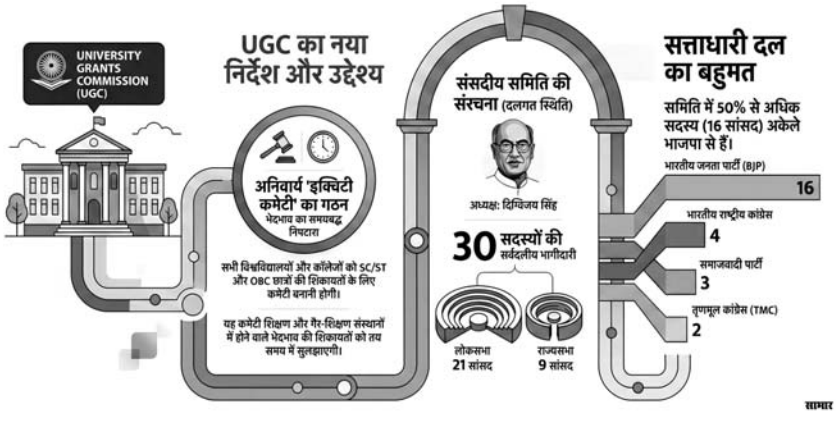

कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की झारग्राम सीट से सांसद), कामाख्या प्रसाद तासा (भाजपा नेता और असम की काजीरंगा सीट से सांसद), करण भूषण सिंह (भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सांसद), रचना बनर्जी (टीएमसी नेता और पूर्व अभिनेत्री, पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से सांसद), शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया (भाजपा नेता, गुजरात की साबरकांठा सीट से सांसद) और थमिझाची थंगापांडियन उर्फ टी. सुमथि. (तमिलनाडु में डीएमके नेता और चेन्नई दक्षिण सीट से सांसद) के नाम शामिल हैं।

बहरहाल, यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। देश की सबसे बड़ी अदालत में बड़े बड़े वकील मौजूद थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत वाली बेंच ने यूजीसी मामले की सुनवाई की। यानी सीजेआई खुद इस बेंच में थे। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जोयमाल्या बागची भी थे। बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन थे और जबकि याचिका के खिलाफ वकील इंदिरा जयसिंह दलील रख रही थीं। विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट में हम यूजीसी की धारा 3 सी को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। नए नियम में यह संकीर्ण और असंवैधानिक है। माना गया है कि भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होता है। यह बस धारणा है कि सामान्य वर्ग के छात्र के भेदभाव करते हैं। यह धारणा नए नियम का कोई तार्किक संबंध नहीं है। सीजेआई ने कहा, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की शुरुआती जांच कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने कहा, संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, फिर जाति आधारित किसी नियम जैसे 3 सी को हटाया जाए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। सीजेआई ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी छात्र ने अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की, तो इस प्रावधान में क्या उसका कोई उपाय है? आजादी के 78 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से निकल नहीं पाया। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? वकील इंदिरा जयसिंह खड़ी हुई। उन्होंने कहा, सवाल जाति या जनजाति पर केवल व्याख्या का है। जस्टिस बागची ने कहा, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। अमेरिका की तरह अलग-अलग स्कूलों में छात्र न पहुंच जाएं, जहां श्वेत और अश्वेत अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि यह कैंपस में एक बहुत बड़ी समस्या है? दूसरे वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा, इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए। हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव देते हैं। यूजीसी के नए नियम साफ नहीं हैं और दुरुपयोग का अंदेशा रखते हैं। नियम सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक 2026 के यह नियम स्थगित रहेंगे और 2012 वाले पुराने नियम जारी रहेंगे। नए ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, जिसमें दो तीन ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो सामाजिक मूल्य और समस्याएं समझते हों। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3 सी की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं और उनको टारगेट करने का मतलब है कि कहीं न कहीं आप राजनीति कर रहे हैं और 78 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, हमारे देश में कहीं न कहीं एकजुट रहने की बात जो हमारा संविधान कहता है, उसको कहीं न कहीं उससे अलग है। तत्कालिक अंतरिम रोक लगा दी गई है और तब तक एक तिथि तय की गई है और पुराने नियम को ही तब तक लागू करने की बात हुई है। हम लोगों की जीत है। हालांकि यह जीत तक पूरी नहीं है। विदित हो कि विष्णु शंकर जैन को बहुत सी टीवी डिबेट्स में देखा होगा। वो नियमों के खिलाफ कोर्ट में थे। वकील विष्णु शंकर जैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सवर्ण उन्हें यूजीसी के नए नियमों पर रोक का सूत्रधार बता रहे हैं। क्योंकि विष्णु जैन ने ही कोर्ट में नियम रोकने की कड़ी दलीलें रखी हैं और विष्णु जैन के पिता हरि शंकर जैन भी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं और पिता पुत्र की जोड़ी हिंदू पक्ष के सौ से ज्यादा केस की पैरवी कर चुकी है।

विष्णु शंकर जैन

कहते हैं, विष्णु जैन ने हिंदुओं को उनके अधिकार दिलाने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया है। तीस हिंदू और जैन मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें आक्रमणकारियों ने तोड़ा। बताया जाता है कि एक केस की फीस वैसे वो बारह से पंद्रह लाख रुपए लेते हैं, लेकिन दावा है कि मंदिरों से जुड़े मामलों में वो कोई फीस नहीं लेते। वैसे विष्णु शंकर जैन ने वकालत सोलह साल पहले शुरू की थी। पुणे के लॉ कॉलेज से डिग्री लेने के बाद वो पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा पास की और उसी साल पिता के साथ अयोध्या जन्मभूमि केस में दलीलें रखी। लेकिन पहली बार चर्चा में आए ज्ञानवापी मामले में। उन्होंने ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा पेश किया और संभल की जामा मस्जिद में भी हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। फिर सर्वे टीम के साथ जब वो मस्जिद जा रहे थे, तभी हिंसक झड़प हुई और बाद में खुलासा हुआ कि संभल में विष्णु जैन को मारने की भी साजिश थी। विष्णु जैन ही कोर्ट में दलीलें रख रहे थे। अब चूकि यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है।

सवाल यह है कि 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, लेकिन पूरे देश में इस पर बड़ा बवाल और प्रदर्शन हो चुका है। नियमों को लेकर यूजीसी के नए नियम आकर क्या हैं और उस पर बवाल क्यों हो रहा है? तो बता दें कि यूजीसी के नियम जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा यूजीसी ने तय की। पहले ऐसे भेदभाव की शिकायत

एससी, एसटी कर सकते थे। अब पीड़ितों की कैटेगरी में ओबीसी को और जोड़ दिया गया था। इस पर विरोध ये था कि सामान्य वर्ग को पीड़ित नहीं, बस आरोपी ही माना जा सकता है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग आरोपी ही होगा। उसके खिलाफ शिकायत करने वालों का दायरा और बढ़ जाएगा क्योंकि ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया। छोटी-छोटी बातों पर कोई भी सवर्णों को निशाना बना सकता है। सवर्णों के साथ कोई भेदभाव होगा तो वो आखिर क्या करेंगे? नियम में ऐसा है कि झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायत पर पहले जुर्माना या सस्पेंड करने का नियम था, लेकिन कोई सजा न होने से झूठी शिकायत की आशंका बढ़ गई। सवर्णों को लगता है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है। झूठी शिकायत कर उनकी पढ़ाई को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि झूठी शिकायत करने वालों पर कोई नकेल नहीं होगी। नियम में यह था कि हर संस्थान में समानता समिति बनाया जाना जरूरी होगा और इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य जरूरी है। लेकिन सामान्य वर्ग का सदस्य हो न हो चलेगा। हो सकता है, विरोध में लोगों ने कहा, हो सकता है कि समिति में कोई भी सवर्ण न हो। ऐसे में शिकायत पर फैसला एकतरफा हो सकता है। सवर्णों को जानबूझकर दोषी ठहराया जा सकता है। नियम में था कि समानता समिति को पुलिस जैसा अधिकार होगा। शिकायत पर यह चौबीस घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई ना होने पर यूजीसी मान्यता तक रद्द कर सकती है। संस्थानों में ऐसी समिति की सिफारिश की बाध्यता नहीं। चौबीस घंटे में कार्रवाई के दबाव में गलत फैसले होने लगेंगे। बिना पूरी जांच पड़ताल के समिति किसी को भी दोषी बना सकती है। संस्थान आर्थिक मदद या मान्यता के डर से फैसले ले सकती है। अब बड़ा बुनियादी सवाल है कि आखिर नियमों में क्या होना चाहिए, सुधार कैसे होने चाहिए? यूजीसी को क्या करना चाहिए? उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत हर कोई महसूस कर रहा है, यह सच है। सवर्णों का आरोप है कि सुधार के नाम पर बेतुके बदलाव न हों। कोई भी नियम बनाते समय संविधान और समाज का ख्याल रखा जाए। जैसे संविधान सभी की समानता यानी बराबरी की बात करता है, तो फिर उच्च शिक्षा में यूजीसी ऐसे भेदभाव वाले नियम क्यों बना रहा है? जबकि शिक्षा का असली मतलब ही भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ना। सामान्य वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि नियम सबके लिए एक जैसे हो। जातिगत भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इसके लिए पीड़ित हो सकता है तो फिर सबको शिकायत करने जैसा अधिकार मिले। नए नियम में झूठी शिकायत पर सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। नए नियम से समाज में भेदभाव का दायरा और बढ़ सकता है। हर नियम कानून के दायरे होते हैं तो झूठी शिकायत पर कड़ा प्रावधान जरूरी है ताकि बिना तथ्य के कोई बेवजह दूसरे छात्रों को निशाना ना बना सके। जिस समिति का नाम समानता है, उसमें सबकी बराबरी की बात नहीं है। उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की तरह सवर्णों का जिक्र क्यों नहीं है? अगर वो समानता समिति है तो फिर वर्गों को बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। यह है सुधार की दलीलें और गुंजाइश। इन पर वकीलों की मांग थी कि सेक्शन 3सी को अनकास्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यह जो कानून है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से अदर एकेडमिक से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं, उनको करें। यह आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल में और सही तरीके से कह पाएंगे।

गौरतलब है कि यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर चल रहे विवाद पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इन नियमों को लेकर की जा रही आलोचना हैरान करने वाली और गलत है, क्योंकि ऐसे रेगुलेशंस 2012 से लागू हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बेहतर बनाया गया है।

इंदिरा जयसिंह के मुताबिक, नए नियम पहले से ज्यादा मजबूत हैं और कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 की भावना के अनुरूप हैं। इस पर एडवोकेट नीरज सिंह का कहना है कि यूजीसी द्वारा किया गया ये वर्गीकरण भेदभाव वाला है। उनके मुताबिक यह नियम एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के साथ दुश्मनी पूर्ण और उन्हें बाहर करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से ये मांग की है कि यूजीसी के नियमों की धारा 3 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं। उसी आदेश के तहत यूजीसी ने ये नए नियम बनाए हैं। वही इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें इस आलोचना पर हैरानी हो रही है, क्योंकि ऐसे नियम 2012 से ही मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में दो माताएं कोर्ट गई थीं, जिनका कहना था कि पुराने नियम एससी/एसटी छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तब से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। उनके मुताबिक नए नियम 2013 के पुराने नियमों से बेहतर हैं, और इन्हें कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो सोच और रुख है, वही इन नए नियमों में भी दिखाई देता है। इंदिरा जयसिंह ने साफ कहा कि उन्हें इसमें शिकायत की कोई वजह नजर नहीं आती बल्कि उल्टा, कुछ याचिकाकर्ता तो यह कह रहे हैं कि नियम अब भी एससी/एसटी को पूरी तरह सुरक्षित नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि अब इन नियमों का दायरा बढ़ाकर निजी विश्वविद्यालयों तक कर दिया गया है। उनके अनुसार, ये नियम संविधान के अनुच्छेद 15 की सामान्य भावना और आदेश के अनुरूप हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियमों की जो आलोचना हो रही है, वह पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। जब उनसे पूछा गया कि राजनीतिक विवाद को अलग रखते हुए क्या इन गाइडलाइंस को अब कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि कुछ याचिकाएं पहले ही दाखिल हो चुकी हैं। साथ ही, ये गाइडलाइंस खुद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनाई गई हैं। इस पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक, सभी मुद्दों पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में बहस हो रही है। जो भी कहना है, वो उन्हीं याचिकाओं में कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये अकेला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक कोऑर्डिनेट बेंच उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या के मामलों पर भी सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरा डेटा सामने आएगा तो यह साफ हो जाएगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर IITs में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले अनुपात से कहीं ज्यादा हैं। अगर पूरे हालात को एक साथ देखा जाए तो यह साफ होता है कि इन समुदायों के पास यह कहने की पर्याप्त वजह है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है।

बहरहाल, यूजीसी की नई गाइडलाइन देखने के बाद दावा किया जा रहा है कि चाल चलने के मामले में केंद्र

सरकार भारतीय शतरंज के माहीर डी. गुकेश से कहीं आगे है। मतलब एक तरफ तो बीजेपी सरकार हिंदुओं से आह्वान करती है कि बंटोगे, तो कटोगे और दूसरी तरफ इस तरह की गाइडलाइन लाकर हिंदुओं को ही जाति के आधार पर और बांटने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इससे पहले कि हम नियमों को लाने के पीछे की राजनीतिक मंशा पर बात करें, पहले ये समझ लेते हैं कि नए नियम क्यों बने? बता दें कि रोहित वेमुला और डॉ. पायल तडवी की माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2025 में यूजीसी को फटकार लगाते हुए कहा था कि 2012 के पुराने नियम भेदभाव रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी इस बारे में सिफारिशें की थीं। उन्हीं में से कुछ सिफारिशें विवाद की वजह बनी हैं। इस नियम के तहत अगर झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, जबकि पहले ये था। कमेटी का मानना था कि झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान छात्रों को डराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। अब इस पर भी सवर्ण छात्रों का कहना है कि इससे तो झूठी शिकायत करने वाले के मन में कोई डर ही नहीं रहेगा। वो तो किसी पर भी कैसा भी इल्जाम लगा सकते हैं और दोष सिद्ध न होने पर भी बेफिक्र घूम सकते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी शिकायत है कि नए नियमों में सवर्ण छात्रों को शिकायत का अधिकार ही नहीं दिया गया। मतलब उनके साथ अगर किसी तरह का भेदभाव होता है, तो उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो इसकी शिकायत कमेटी को कर सकें। वो सिर्फ पुराने सामान्य नियमों, जैसे कि छात्र शिकायत निवारण नियमावली या एंटी- रैगिंग नियमों का सहारा ले सकते हैं। उनके लिए जातिगत भेदभाव के खिलाफ कोई विशेष सुरक्षा कवच इन नए नियमों में नहीं है, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देता है। ऐसे में केवल कुछ वर्गों के लिए विशेष भेदभाव-विरोधी नियम बनाना और सवर्णों

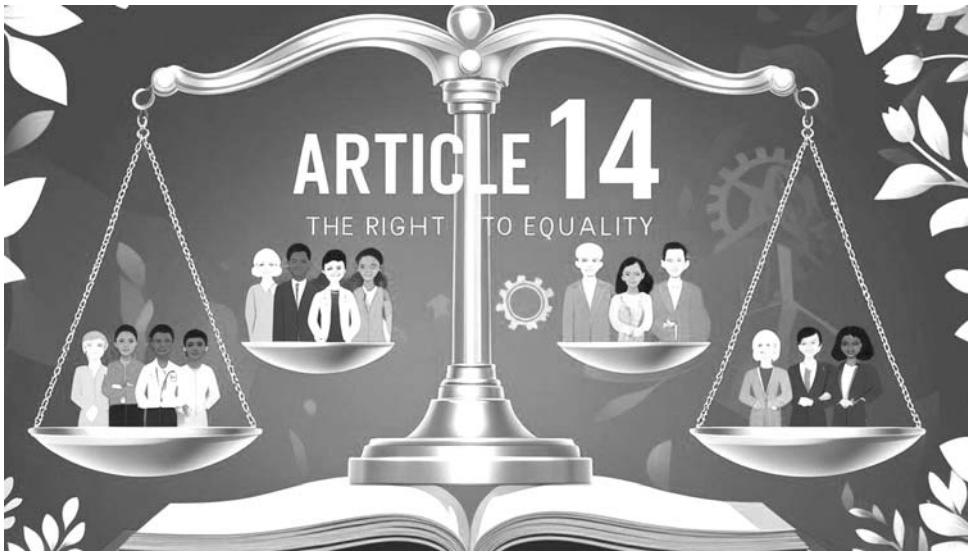

को इससे बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। इसी तरह एससी-एसटी एक्ट में भी 68 से 75 फीसदी मामलों में कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाता। बहुत सी शिकायतें सिर्फ आपसी झगड़े में या द्वेष की भावना से करवा दी जाती हैं। क्या हम नहीं जानते कि विष्णु तिवारी जी के साथ क्या हुआ। किस तरह एससी- एसटी एक्ट में झूठे केस में उन्हें 20 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका केस लड़ने के चक्कर में घरवालों की जमीन बिक गई और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इन नियमों के बाद सवर्ण जाति के लोगों में बीजेपी को लेकर खासतौर पर गुस्सा है। उनका कहना है कि एक तरफ तो बीजेपी मुसलमानों का हवाला देते हुए कहती है कि बंटोगे, तो कटोगे। लेकिन वही बीजेपी बाद में इस तरह के प्रावधान लाकर हिंदुओं के बीच फूट डालती है। एक तरफ संघ हिंदुओं से कहता है कि अपनी जाति छोड़ो और खुद को सिर्फ हिंदू मानो। दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे फूट डालने वाले नियम लाकर हिंदुओं के बीच जातिगत भेदभाव को और पुख्ता करती है और क्यों? क्योंकि हर पार्टी की तरह बीजेपी भी अंततः ये देख रही है कि उसके लिए बड़ा वोट बैंक कौन-सा है। ओबीसी, एससी, एसटी का कुल वोट बैंक टोटल वोट बैंक के दो-तिहाई से ज्यादा हैं। सवर्णों की गिनती इसके मुकाबले कहीं नहीं होती। 2024 के चुनावों में कुछ पार्टियों ने ये नैरेटिव गढ़ दिया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसके बाद इस वर्ग में उसे लेकर संदेह है। ऐसे में बीजेपी को लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम दिखा पाएं कि हम तुम्हारे सबसे बड़े सगे हैं। जानकारों का मानना है कि नए नियमों को लाने के पीछे की सारी सोच इसी घोर राजनीतिक नफे-नुकसान से उपजी है और इसी बात का सवर्ण वोट बैंक को सबसे ज्यादा गिला और गुस्सा है। मतलब जिस बीजेपी को कल तक सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, जिन सवर्णों ने एकमुश्त वोट देकर बीजेपी को उसके पांवों पर खड़ा किया, उसे लगता है कि आज सत्ता में पैर जमाने के बाद वही बीजेपी ऐसे नियमों के जरिए सवर्णों पर ही जुल्म ढा रही है। बीजेपी ने उसे एक टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। अब इस वर्ग का गुस्सा चुनावों में किस रूप में दिखाई देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हां, गुस्सा तो है। यह स्थिति तब है जब आप देखें कि सामान्य वर्ग, वो वर्ग है जो भर भर के बीजेपी को वोट देता है। जनरल कैटेगरी अपना कलेजा इनके लिए निकाल कर दे देती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हिंदू जनरल कास्ट ने 53% वोट दिया था। मतलब आधे से ज्यादा जनरल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और 2019 में भी यही था। लेकिन हिंदू अपर ओबीसी ने 39% दिया था और हिंदू लोअर ओबीसी ने 49% वोट किया था। अगर आप 2019 के चुनाव से कंपेयर कीजिएगा तो अपर ओबीसी ने 41% वोट दिया था, यानी माइनस टू परसेंट हो गया। 2024 में हिंदू लोअर ओबीसी ने 48% वोट दिया था बीजेपी को, जो बढ़कर 49% हुआ। ये लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़े हैं, तो अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा तो जनरल कास्ट आपके साथ हमेशा खड़ा मिलता है और इसलिए उसको नाराजगी लग रही है कि जब यहां सब एक होकर वोट देते हैं तो आप क्यों जनरल कास्ट को अलग करके देख रहे हैं।

गौरतलब है कि अपने ही पदाधिकारियों और अफसरों के इस्तीफे का मार झेल रही बीजेपी के भीतर भारी संकट का माहौल है। ताबूत में यूजीसी का यह काला कानून अब आखिरी कील साबित होने जा रहा है। यूजीसी के नाम पर मेरिट की हत्या, सवर्ण छात्रों के गले में फांसी का फंदा डालने वाली मोदी सरकार का असली और डरावना चेहरा बेनकाब हो चुका है। सवर्ण खुले कह रहे हैं कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। सवर्णों के वोट को घर की खेती और खैरात समझने वाली बीजेपी को ऐसा झटका देने की तैयारी की जा चुकी है, कि सारा गुमान गोते खाकर सर छुपा लेगा। विश्वगुरु बनने का ढोंग करने वाली बीजेपी सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। यूजीसी के नाम पर नफरती बीज बोने वाली सरकार को यूपी ने करारा जवाब दिया है। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वालों ने सवर्ण समाज के विनाश की पटकथा लिख दी है। यह जो यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया है, यह कोई साधारण नियम नहीं है। यह जनरल कैटेगरी के छात्रों के गले की फांसी का फंदा है, जिसे खुद मोदी सरकार ने तैयार किया है। बीजेपी को लगता था कि सवर्ण तो उनका बंधुआ मजदूर है, वह कहां जाएगा? लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस काले कानून की एक-एक धारा सवर्ण विरोधी मानसिकता की गवाही दे रही है। यूजीसी के नए नियम कहते हैं कि कॉलेजों में इक्विटी सेल बनेगा। यह सेल असल में सवर्ण छात्रों को प्रताड़ित करने का सरकारी अड्डा होगा। ओबीसी को आरक्षण था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उन्हें एट्रोसिटी एक्ट जैसा हथियार थमा दिया गया है। अगर अब क्लास में किसी सवर्ण छात्र ने अपनी मेधा या मेरिट की बात कर दी तो उसे जेल भेजने की तैयारी होगी। यह कानून सीधे तौर पर मेरिट की हत्या है। बीजेपी सरकार ने शिक्षा के मंदिरों को जातिगत नफरत का अखाड़ा

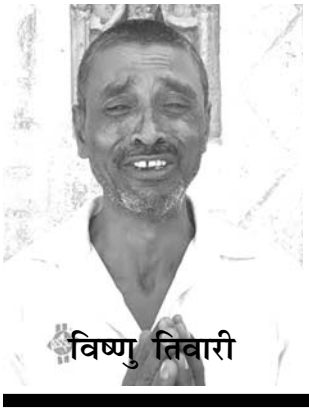
विष्णु तिवारी

बना दिया है। यह वही लोग हैं जो कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते थे। आज बीजेपी तुष्टिकरण के मामले में कांग्रेस की भी बाप बन गई है। सिर्फ कुछ ओबीसी वोटों के लालच में बीजेपी ने अपने मूल वोटर के पेट पर लात मार दिया है। क्या जनरल कैटेगरी का छात्र इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? इस बिल ने साबित कर दिया कि बीजेपी के लिए हिंदू एकता सिर्फ एक चुनावी जुमला है। जब वोट चाहिए तो हिंदू एक हो जाता है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो सवर्णों को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो जो हो रहा है, वह सिर्फ बीजेपी के लिए ट्रेलर है। बीजेपी के अपने ही घर में आग लग चुकी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के 11 पदाधिकारियों का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी अब अपनी ही सरकार से घिन करने लगा है। बख्शी का तालाब के मंडल महामंत्री आलोक तिवारी ने जो इस्तीफा दिया, वह सवर्ण समाज की चीख है। आलोक तिवारी ने साफ कर दिया कि वह ऐसी पार्टी की गुलामी नहीं कर सकते, जो उनके बच्चों का भविष्य रौंद रही हो। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि उसके राज में उसके अपने पदाधिकारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। एक पीसीएस अधिकारी अपनी नौकरी को लात मार रहा है, क्योंकि उसे अपना धर्म और समाज प्यारा है। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा

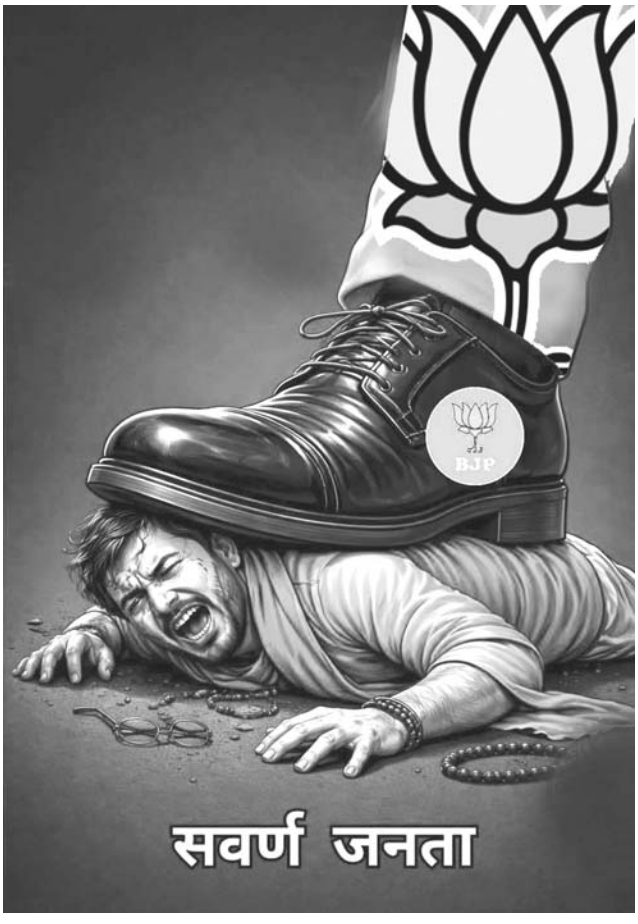

कि शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी के काले नियम उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। बीजेपी जो खुद को धर्म के ठेकेदार बताती है, आज उसी के राज में संत समाज और सवर्ण रो रहे हैं। शंकराचार्यों का अपमान करना और फिर रामराज्य की बात करना बीजेपी का सबसे बड़ा पाखंड बन चुका है। यह पार्टी दोमुंही है, जो राम का नाम लेती है लेकिन काम रावण जैसा कर रही है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को डराने के लिए यह नियम लाया गया, ताकि वह कभी सवाल न पूछ सकें, ताकि वह हमेशा दबे कुचले रहें। क्या यही है बीजेपी का न्यू इंडिया? जहां योग्यता को अपराध माना जाएगा और जाति को योग्यता से ऊपर रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर आईटी सेल के लोग चाहे जितना बचाव कर लें, सच नहीं छिप सकता। सच यह है कि बीजेपी अब सवर्ण मुक्त भारत बनाना चाहती है। उसे लगता है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन पर जितना चाहे जुल्म कर लो। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी का यह घमंड चकनाचूर कर देगा। गांव-गांव में विरोध के सुर उठने लगे हैं। सवर्ण समाज अब नोटा दबाने या विपक्ष को वोट देने की तैयारी कर रहा है। यह बिल जातियों को बांटने वाला बिल है। क्लासरूम में अब छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे की जाति देखकर बात करेंगे। प्रोफेसर भी डरेंगे कि कहीं किसी छात्र को डांट दिया तो इक्विटी सेल में शिकायत हो जाएगी। यह शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की सोची समझी साजिश है। बीजेपी ने सवर्णों के साथ गद्दारी की है। जिस विश्वास के साथ 2014 और 2019 में वोट दिया गया, उस विश्वास की हत्या हुई है। आज सवर्ण छात्र खुद को ठका हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि आरक्षण की आग कम थी, जब यह नया कानून थोप दिया गया। इस कानून का दुरुपयोग होगा, यह बात सरकार भी जानती है। जैसे दहेज और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, वैसे ही अब इक्विटी सेल का भी दुरुपयोग होगा। हजारों बेगुनाह छात्रों का करियर बर्बाद होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी होगी। जो पार्टी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर घूमती है, उसने राष्ट्र की नींव को ही कमजोर कर दिया है। जातिवाद का जहर घोलकर कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए समाज के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं। आलोक तिवारी और अलंकार अग्निहोत्री तो बस शुरुआत है। अभी तो पूरी बीजेपी खाली हो जाएगी, अगर यही हाल रहा तो, सवर्ण समाज का गुस्सा अब सड़कों पर और दिखेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ नियमों की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज

भारतीय जनता पार्टी

अंकित तिवारी
मण्डल महामंत्री
कुम्हरावा, भारतीय जनता पार्टी
जिला लखनऊ

सेवा में,
माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी,
जिला– लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

यू0जी0सी0 कानून के विरोध में

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं अंकित तिवारी वर्तमान मण्डल महामंत्री, कुम्हरावां, भारतीय जनता पार्टी, 169 विधान सभा, बख्शी का तालाब, अपने समस्त पदों से इस्तीफा देता हूँ क्योंकि जो हमारे प्रेरणा श्रोत आदरणीय पं0 दीन दायल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था उस पद से पार्टी भटक रही है पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारीयों के द्वारा यू0जी0सी0 कानून लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है जिसको देखते हुये मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नही हूगाँ। और मेरे साथ कुछ पदाधिकारीगण अपना सामूहिक इस्तीफ दे रहे है जिनके नाम नीचे दिये गये है।

पदाधिकारी के नाम	पद	हस्ताक्षर
1. आलोक सिंह	मण्डल उपाध्यक्ष	
2. महावीर सिंह	मण्डल मंत्री	
3. मोहित मिश्रा	शक्ति केन्द्र संयोजक	
4. तेज प्रकाश सिंह	शक्ति केन्द्र संयोजक	
5. नीरज पाण्डेय	शक्ति केन्द्र संयोजक	
6. अनूप सिंह	युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष	
7. राज विक्रम सिंह	युवा मोर्चा मण्डल महामंत्री	
8. अभिषेक अवस्थी	पूर्व मण्डल मंत्री	
9. विवेक सिंह	बूथ अध्यक्ष	
10. कमल सिंह	पूर्व सेक्टर संयोजक	

भवदीय
अंकित तिवारी
मण्डल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी
कुम्हरावां मण्डल

सवर्ण समाज चुप रहा तो कल उसके बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने मान लिया है कि सवर्ण कायर हैं, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि सवर्ण जब अपनी पर आता है तो सल्तनत हिला देता है। यूपी का चुनाव बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस काले कानून की कीमत बीजेपी को सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ेगी। ढकोसला करने वाली पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। इसके लिए विकास का मतलब सिर्फ अपने चहेते वोट बैंक को खुश करना है, बाकी जनता भाड़ में जाए। इक्विटी रेगुलेशन 2026 सवर्णों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध की तरह है और इस युद्ध का ऐलान खुद मोदी सरकार ने किया है। अब जवाब देने की बारी समाज की है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा जो पार्टी हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। यूजीसी का यह बिल वापस लेना ही होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि सवर्ण समाज अब जाग चुका है।

विदित हो कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सवर्ण समाज में उबाल नहीं थम रहा। एक नहीं, तीन पॉइंट पर उठ रहे सवाल हैं। इतना कहे कि अब तो योगी भी हो गए हैं यूजीसी को लेकर परेशान। यूजीसी को ढाल बनाकर केन्द्र ने चाल चली चुपचाप। सवर्णों ने मोर्चा संभाला तब जाकर थमी बवाल की आंच। यह कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि जब सवर्ण समाज के लोगों ने हुंकार भरी तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी और केन्द्र से जवाब तलब किया, लेकिन अभी भी यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि बाहर से भले ही हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन अंदरखाने बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। कहीं मिठाइयां बंटी तो कहीं यह कहा गया कि यह खुशी अभी अधूरी है। सवाल यही है कि क्या यह फैसला अस्थायी रहता है या फिर यह सिर्फ एक सांस लेने का मौका है। क्योंकि अदालत ने नियमों को रद्द नहीं किया, सिर्फ रोक लगाई है और सरकार से जवाब मांगा है। यही बात सवर्ण समाज की चिंता को खत्म नहीं होने दे रहा। फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में जश्न का माहौल जरूर दिखा, लखनऊ, गोरखपुर जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आये। लड्डू, पेड़ा बांटे गए और इसे न्याय की जीत बताया गया। साधु संत, छात्र संगठन खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन इस जश्न के बीच एक डर भी तैर रहा था। लोग कह रहे थे, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है और तब तस्वीर बदल भी सकती है। यही वजह है कि खुशी के साथ साथ सावधानी भी नजर आई। असल मुद्दा यूजीसी के उन नियमों से जुड़ा है, जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों के लिए लाए गए थे। सरकार का कहना था, इससे कमजोर वर्ग को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सवर्ण समाज का कहना था कि नियम बहुत खुले हैं और कोई भी झूठी शिकायत करके किसी को फंसा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी खटकती है। कोर्ट ने कहा कि नियम पहली नजर में साफ नहीं और इनके गलत इस्तेमाल की आशंका है। जब मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि ''क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं', तो स्वर्ण समाज को लगा कि उनकी बात सुनी गई है। इस विवाद ने राजनीति को भी झकझोर दिया। विरोध सिर्फ सड़क तक नहीं रुका, बल्कि बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गया। नारे लगे, पोस्टर लगे, वोट न देने की बातें सामने आई। कई सांसद और मंत्री कैमरे के सामने बोलने से बचते दिखे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन में नेताओं से ज्यादा साधु, संत और धार्मिक चेहरे आगे दिखे। बागेश्वर धाम से लेकर बड़े संतों तक ने कहा कि ऐसे नियम समाज को बांट सकते हैं। विपक्ष ने भी संतुलन की बात कही। अब इस पूरे मामले में तीन बड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सवर्ण समाज का गुस्सा सच में ठंडा हो जाएगा या यह सिर्फ कुछ दिनों की शांति है? दूसरा सवाल यह कि जिन नियमों को रोका गया, उनसे जुड़े पिछड़े और वंचित वर्ग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। तीसरा सवाल सरकार की चुप्पी को लेकर है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोई भी तीखा बचाव नहीं दिखा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार पहले से समझ चुकी थी मामला संवेदनशील है, इसलिए टकराव से बचा गया। अब नजर 19 मार्च पर टिकी है, तब

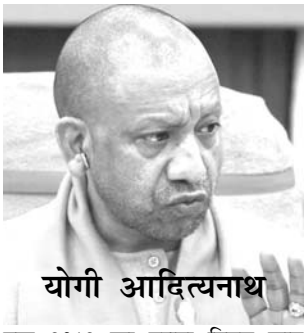
योगी आदित्यनाथ

तक 2012 का पुराना नियम लागू रहेगा और नया ढांचा ठंडे बस्ते में रहेगा, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर गुस्सा अब भी दिख रहा है। कोई कह रहा है कि यह जीत है तो कोई कह रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। सवाल यह भी है कि क्या आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का इस्तेमाल जातीय समीकरण साधने के लिए किया जाएगा। योगी सरकार के सामने भी चुनौती साफ है। संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि कोई वर्ग नाराज न हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन विवाद अभी जिंदा है और अगली सुनवाई तक सियासत और समाज दोनों में हलचल बनी रहने वाली है।

गौरतलब है कि यूजीसी को लेकर इस विरोध की तस्वीरों के बीच एक सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया है। यूजीसी एक्ट को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, इस नाराजगी का। इस सर्वे ने जो दावा किया है, उसने संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, देश में उसका नुकसान किस हद तक उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता खिसकना लगभग तय है और अगर यह विवाद शांत नहीं हुआ, अगर कदम पीछे नहीं खींचे तो फिर बीजेपी की नैया डूबना तय है! सबसे पहले कुछ आंकड़े हैं। अब ये आंकड़े ऐसे क्या हैं, जो पार्टी को हिला देंगे? हम पहले इन आंकड़ों पर ही आते हैं। सीधा उत्तर प्रदेश की सियासी कहानी को कैसे ये विरोध की तस्वीरें गड़बड़ा रही हैं? अंदर ही अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है और कैसे ये खतरे की घंटी बन रही हैं। सी वोटर लेटेस्ट सर्वे में जनता से सीधा सवाल पूछा गया था, इसी एक्ट को लेकर कि भाई आपको क्या लगता है? यूजीसी के नए नियम सवर्णों के खिलाफ हैं क्या? इस सवाल को लेकर सौ में से 65% लोगों ने कहा कि हां, बिल्कुल ये गलत है और वही ऐसा नहीं कहने वाले महज 31% लोग थे। अब सर्वे में एक और सवाल पूछा जाता है। सवाल ये कि क्या नियमों से यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत तनाव पैदा होगा? मतलब कि क्या जातिगत तनाव पैदा होगा इस एक्ट से। तब आंकड़ा आया 66% लोगों ने कहा कि हां, बिल्कुल छात्रों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, कैंपस में जातिगत हिंसा होगी और वहीं दूसरी तरफ 32%, का जवाब था नहीं। लेकिन हां बोलने वाले यहां भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब जो तीसरा सवाल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि राजनीतिक लिहाज से इसी सवाल ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। पूछा गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को देखते हुए ये आंकड़ा काफी अहम है। सवाल था क्या इसका असर पड़ेगा? 60% लोगों ने कहा कि हां, बिल्कुल। नियमों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को चुनाव में नुकसान होगा, वोट नहीं करेंगे। यानी 60% ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। वही 35% लोगों ने कहा कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये आंकड़ा गहराई से समझिए। क्यों यूजीसी का यह विवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दोधारी तलवार बन गया है? अब ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को तो अब स्टैंड लेना है। कर्णी सेना हो, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा है, ब्राह्मण महासभा है, परशुराम सेना है। ये सब सड़कों पर है। उन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन खत्म नहीं किया। सोशल मीडिया पर एक अलग लड़ाई चल रही है और तैयारी हो रही है एक बड़े आंदोलन की। जो आक्रोश सर्वे में दिखाई दे रहा है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो वोट की चोट में भी तब्दील हो सकता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा केंद्र है इस पूरे विरोध का। अगर आप गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नाराजगी नहीं होती तो बीजेपी नेता,

सीजेआई सूर्यकांत

पदाधिकारी एक साथ ग्यारह-ग्यारह, दस-दस इस्तीफे क्यों देते? क्यों इस तरह प्रदर्शन हो रहा होता? वो तस्वीरें याद करिए जो थी हापुड़ की, जहां पर नारे लग रहे थे कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। कभी आपने सुना बीजेपी का कार्यालय घेर कर बीजेपी के ही कार्यकर्ता नारे लगा रहे हों। यानि सुप्रीम कोर्ट का स्टे। उसके बावजूद बीजेपी के लिए कैसे मुसीबत? यूजीसी के नए नियमों को अगर बीजेपी सही बताती है, तो सवर्णों की नाराजगी झेलनी होगी। पहली बात, सवर्ण संगठन 19 मार्च तक अपने आंदोलन को खत्म करने को तैयार नहीं है। सवर्ण संगठनों ने साफ तौर पर चाहे वो राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कायस्थ हो या फिर इसके साथ साथ खत्री समाज। इतना ही नहीं मुसलमानों के जो स्वर्ण जाति के संगठन हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए। सरकार नियमों को वापस लेने का कदम अगर उठाती है तो एससी, एसटी, ओबीसी इसका विरोध करेगा, यानी दोनों तरफ विरोध। ऐसे में यूजीसी के नए नियमों को लेकर

बीजेपी उस दोराहे पर खड़ी हो गई है जहां पर सवर्ण जो उसका अपना परंपरागत वोट, जो वोट की गारंटी थी, उससे खिसक गया और दूसरी तरफ दलित, ओबीसी वो अब चुनौती दे सकता है। यानी सियासी बैलेंस बनाना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। अब सामाजिक आधार पर सवर्ण जाति के जो वोटर हैं, बीजेपी को यह सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो जो उसके अपने वोटर हैं, वही खिसक जाएं और यही आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन का नुकसान बीजेपी अब झेलने को तैयार है या नहीं। यह एक बड़ा सवाल है। वही सीएसडीएस लोकनीति का एक सर्वे है और सर्वे में यह बात निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री को युवा किस-किस तादाद में वोट कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे युवाओं की तुलना में पढ़े लिखे वर्ग में अधिक था। 2014 में 66% युवाओं ने एकमुश्त वोट किया। 18 से 25 साल के युवाओं का वोट प्रतिशत 70% तक था। बीजेपी को 34% युवाओं ने वोट किया था, जबकि कांग्रेस को महज 19% पढ़े-लिखे वोटर्स ने वोट किया था। यानी कि युवाओं ने मोदी को भर-भर के वोट किया। मगर अब वही युवा और वही यूजीसी को लेकर सवर्ण जाति नियमों के विरोध में, यूजीसी के नियमों के विरोध में सड़कों पर है और बीजेपी इसे संभाल पाने में अभी तक तो नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके अपने नेता इस्तीफा दे रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। अब यहां पर सियासी गणित को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों पर आधारित है। यूजीसी विवाद की जो नई लकीर खींची है, चाहे वह ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, वैश्य हों। इनका आंकड़ा है 22%, 22% और यह 22% अगर वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया और जो आक्रोश दिखाई दे रहा है और जो कहा जा रहा है कि भैया हम वोट नहीं करेंगे आपको। ऐसे में ब्राह्मण पहले से नाराज हैं यूजीसी विवाद से, अब ठाकुर भी नाराज, कायस्थ भी नाराज हैं। अब सवर्ण समाज की नाराजगी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बात सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रही है। राजनीतिक लिहाज से अगर हम देखें और समझें तो पूर्वांचल और अवध का क्षेत्र, 10 से 15 फीसदी अगर वोट यहां से खिसक गया तो फिर सत्ता खिसक गई। क्योंकि यही वोटर बीजेपी को सत्ता में लेकर आता है। कैसे? 2022 के चुनाव को याद करिए। ब्राह्मण वोटरों ने 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाई। ठाकुर वोटरों ने 45 सीटों पर एक साथ जीत दिलवाई। अब यही अगर 2027 में दांव उल्टा पड़ गया तो बताइए कि बीजेपी या फिर यूं कहिए कि योगी सत्ता में आएंगे तो आएंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने भी नुकसान को लेकर चर्चा हो रही है। कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और खुद बृजभूषण जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने विरोध किया। उनके बेटे प्रतीक भूषण ने विरोध किया। बीजेपी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने विरोध किया। डॉक्टर संजय सिंह उनका विरोध रहा, तो यूजीसी के नए नियम का विरोध भारतीय जनता पार्टी के घर के भीतर से हो रहा है और यह सब कुछ सामान्य नहीं है। यह बात बीजेपी भी समझ रही है। यह आंकड़े उसी की तरफ तस्दीक करते हैं, जो सी वोटर का आंकड़ा हमने आपको बताया। तो क्या लगता है कि यह विरोध अब बीजेपी अगर कदम पीछे नहीं खींचती तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में सत्ता हिल भी सकती है। क्या यह सर्वे इस बात की ओर तस्दीक करती हैं? आपको भी यही लगता है या फिर कहानी कुछ और है पर्दे के पीछे? जैसे आरोप लगाए गए कि योगी के सिंहासन को हिलाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। ऐसा भी है क्या?

बहरहाल, राजनीति में बेशर्मी की भी हद होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सत्ता के गलियारों में जो नंगा नाच हुआ, उसने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम उसी गद्दारी की बात करेंगे, जिसने सवर्ण समाज के युवाओं की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। यह कहानी

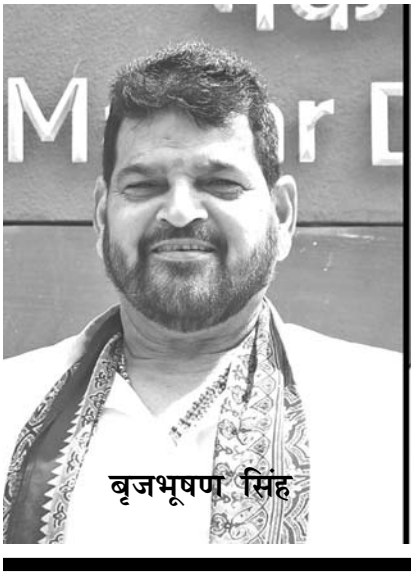
बृजभूषण सिंह

प्रतीक भूषण सिंह

अभिजीत सिंह सांगा

उन डरपोक नेताओं की है, जो कल तक बिल में छिपे बैठे थे और शेर की खाल ओढ़कर अब बाहर आ गए। देश जल रहा था और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर था, लेकिन ये तमाशा देख रहे थे। जब यूजीसी का काला कानून आया तो पूरे देश में आग लग गई। हर तरफ विरोध -प्रदर्शन हो रहे थे। सवर्ण समाज का युवा खून के आंसू रो रहा था। माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डर से कांप रहे थे। उन्हें डर था कि उनका बच्चा कॉलेज डिग्री लेने जा रहा है या बर्बाद होने। लेकिन इस शोर के बीच एक जगह मुर्दा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जगह थी सत्ता में बैठे उन नेताओं के दफ्तर। सरकार में बैठे सवर्ण समाज के विधायक और सांसद ऐसे खामोश थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। इनके मुंह में दही नहीं बल्कि सत्ता का ऐसा लोभ जमा था, जिसने इनकी जुबान सिल दी थी। ये वही नेता हैं, जो चुनाव के समय घर आकर अपनी जाति और धर्म की दुहाई देते हैं। लेकिन जब आपकी गर्दन पर तलवार लटकी तो ये सब दुम दबाकर बैठ गए। इन्हें ऊपर से आदेश था कि अगर मुंह खोला तो पार्टी से बाहर निकाल दिए जाओगे। इन्हें उन सवर्णों की चिंता नहीं थी, इन्हें अपनी कुर्सी प्यारी थी। यूजीसी का यह नया नियम कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि सवर्ण छात्रों को बर्बाद करने के लिए तैयार हुआ था। इधर कुआं, उधर खाई। लेकिन हमारे रीढ़विहीन नेता चुपचाप यह सब होने दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका वोट बैंक तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए उनकी बलि चढ़ा दो। लेकिन तभी इस खेल में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस इरादे को मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही कोर्ट का हथौड़ा चला, सरकार की सारी हेकड़े निकल गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने सरकार को ऐसी फटकार लगाई, जो इतिहास में याद रखी जाएगी। अब असली तमाशा देखिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, वैसे ही बीजेपी के कुछ नेता दांत निपोरते हुए बाहर आ गए। जो नेता कल तक खामोश थे, उनकी जुबान अब कैंची की तरह चलने लगी। निशिकांत दुबे हों या

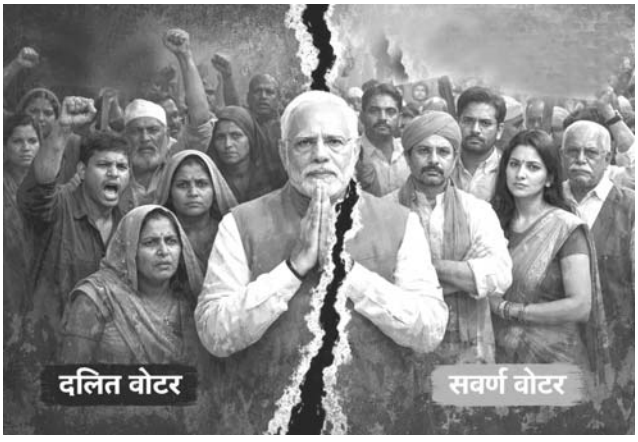

गिरिराज सिंह, सबने रंग बदल लिया। ये लोग आकर कहने लगे कि देखा हमने कहा था ना कि मोदी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अरे शर्म करो पाखंडियों! इसमें मोदी सरकार का रत्ती भर भी हाथ नहीं है। यह बिल किसी विदेशी ने नहीं, बल्कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ही तैयार किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो मोदी सरकार तो इस पूरे मामले को कैश करने के लिए ही तैयार बैठी थी। उन्हें तो बस एक खास वर्ग का वोट चाहिए था, चाहे उसके लिए सवर्ण युवाओं की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। ये नेता वैसे दिखा रहे हैं जैसे ये रोक उन्होंने लगवाई हो। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक सरकार की अच्छी नीयत देखकर नहीं, बल्कि सरकार की नाकामी और गलत इरादों को देखकर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने माना कि यह कानून खतरनाक है, लेकिन इन नेताओं को झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आई। ये वो सौदागर हैं, जो अपने जज्बातों का सौदा करते हैं। इन पाखंडी नेताओं ने यह नहीं बताया कि अगर कानून पास हो जाता तो निर्दोष बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता। उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि झूठे केस में फंसा कोई छात्र आत्महत्या कर ले। उन्हें बस अपनी राजनीति चमकानी थी। ये अब भी भीड़ के सामने सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन भीड़ के हटते ही फिर से समाज को बांटने की साजिश रचते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके हक की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ेगा, चाहे वह आपकी जाति का क्यों न हो। जब तक पार्टी हाईकमान का चाबुक चलेगा, ये नेता गूंगे बने रहेंगे। शुक्र मनाइए कि देश में न्यायपालिका अभी जिंदा है, जिसने तुगलकी फरमान पर ब्रेक लगा दिया। नहीं तो इन नेताओं ने आपको बेचने का पूरा इंतजाम कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यह सरकार फिर से कोई पैंतरा लेकर आ सकती है। ये नेता फिर से आपको मीठी-मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार इनका असली चेहरा पहचान लीजिए। ये आपके सगे नहीं हैं, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। आज सवर्ण समाज को यह सवाल पूछना होगा कि जब हमें जरूरत थी, तब आप कहां थे? जब हमारे बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी थी, तब आपकी जुबान क्यों सिली हुई थी? यह जीत किसी नेता की नहीं, बल्कि उस डर की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मन में पैदा किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि वोट बैंक के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। इन बहुरूपी नेताओं के झांसे में मत आइए। अपनी आवाज खुद बुलंद कीजिए, क्योंकि समाज चुप रहता है तो उसे राजनीति के भेड़ियों नोच कर खाते हैं। आगे जब भी ये नेता आपके पास आएं और कहें कि हमने अन्याय रोका है, तो इनसे पूछिएगा कि उस वक्त आपके मुंह में दही क्यों जमा था। इनसे पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे से पहले आपकी अंतरात्मा कहां सो रही थी? यह लड़ाई अभी लंबी है और हमें जागते रहना होगा।

गौरतलब है कि बीजेपी को तो मुखर होकर सामान्य वर्ग के मामले में बोलना चाहिए, लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा। बाकी लोग बोल रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए? यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में भेदभाव की। झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? भेदभाव को कैसे परिभाषित कीजिएगा? शब्दों से, कार्यों से, धारणाओं से कैसे? यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या फिर उसमें जरूरी संशोधन किए जाएँ। बीजेपी की तरफ से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। नेता हर हर महादेव के नारे लगा के निकल लिए। और बीजेपी के जो सांसद बोल भी रहे हैं उनमें एक नाम है निशिकांत दुबे का। पहले तो वो नए नियमों का समर्थन कर रहे थे, फिर उनको सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू किया, विरोध तेज होने लगा तो अब वो बदलाव और संशोधन की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मोदी है तो

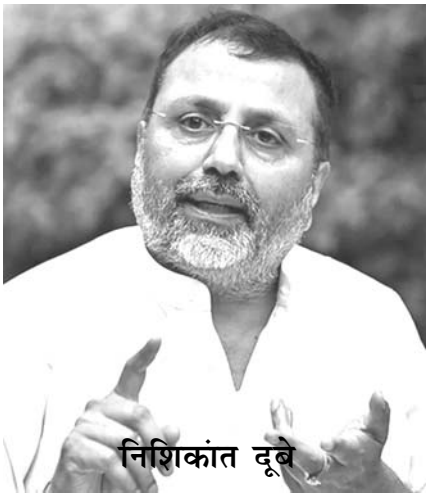
निशिकांत दूबे

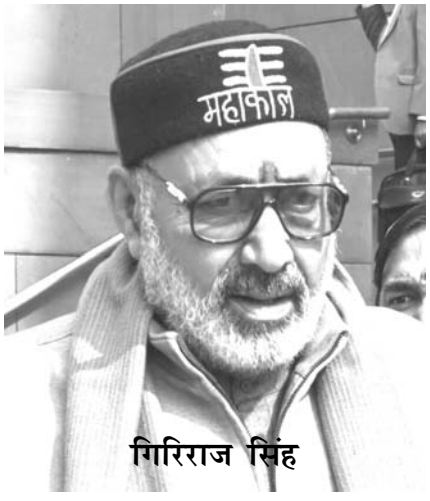

गिरिराज सिंह

प्रियंका चतुर्वेदी

मुमकिन है, विश्वास रखिए यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। मगर कौन सी भ्रांति है? लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अगर भ्रांति है तो आपके मिनिस्टर हर हर महादेव बोलकर क्यों चले गए? भ्रांति बताते हैं, दूर करते हैं। लाखों हिंदुओं को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है या हिंदी पढ़ने नहीं आती है, जो भ्रांति है, बताइए कौन सी है? संविधान के आर्टिकल 14, 15 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। यही तो सब कह रहे हैं। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को पीएम मोदी की वजह से मिला है। 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद सभी पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय सिर्फ मोदी सरकार ने दिया। इंतजार करिए यूजीसी की भ्रांतियाँ भी खत्म होंगी, तो भाई भ्रांतियाँ खत्म होंगी तो कर दीजिए। बता दीजिए क्या भ्रांति हैं और कुछ गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने इस देश में काम किया है, इसीलिए लोगों को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो इसको ठीक कर लेंगे। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी के फैन और नरेंद्र मोदी के फैन में यही फर्क है। नरेंद्र मोदी के फैन जो है वो विरोध करने लग जाते हैं तुरंत, राहुल गांधी वाले नहीं करते। राहुल गांधी के फैन हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरा परिवार है। हैशटैग मोदी का परिवार। तो परिवार के लोग खुद बताते हैं। जब ये पता लगने लगता है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें घर में आग लग जाएगी, तो परिवार का ही आदमी बताता है। फैन का क्या है? यहां लटका है, कल वहां लटकेगा। परिवार के लोगों को चिंता होती है कि घर में आग न लग जाए और इसलिए वो नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, बीजेपी की सरकार को बता रहे हैं और ये कोई भेदभाव की बात नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के साथ समान में भेदभाव हुआ है, इसको कोई नहीं नकार सकता। लेकिन किसी एक को आगे लाने के लिए दूसरे को कोहनी मार के पीछे कर देना रास्ता नहीं होता है।

सत्यमेव जयते

शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
EDUCATION

कम से कम अगर आप उनको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके साथ गलत ना हो, तो ये प्रोविजन तो कर दीजिए कि कोई झूठी शिकायत करेगा, तो उस पर ऐसा एक्शन होगा कि झूठी शिकायत करने वाले की रूह कांप जाए। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करने वाले भी खुलकर आ चुके हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर कोई इसे बदलने की कोशिश करेगा तो 85% बहुजन समाज सरकार को हिला देगा। रावण ने अपनी रैली में कहा था ''प्यारे साथियों, अभी-अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं। बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है, जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पर फैसला वापस हुआ, तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर कर सरकार को बताने का काम करेंगे''। यानी जिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी मुश्किल से जो हिंदू जातियों को एकजुट किया। अब यूजीसी का नया नियम उसे ही बेजातियों में बांट दे रहा है और लोग आ गए लाइन में लगकर, उसका फायदा लेने। देखिए यह बात तो सबको पता है कि अगर शिकायतों में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो नियमों का दुरुपयोग होगा ही। सामान्य वर्ग का जो डर है वो आप एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग के आरोपों से समझ सकते हैं। 2023 में पार्लिमेंटरी पैनल की रिपोर्ट, जो की लोकसभा में पेश की गई, उसके मुताबिक पाँच साल में दिल्ली में एससी/एसटी एक्ट का कन्विक्शन रेट सिर्फ 1.02% था। 2018 और 31 मार्च 2023 के बीच 488 मामलों में सिर्फ पाँच में कन्विक्शन हुआ। 65 मामलों में आरोपी दोषमुक्त साबित हुए। हम यह नहीं कह रहे कि सभी आरोप गलत-गलत ही होते हैं। बहुत से जेनुइन आरोप भी होते हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है और यह बड़ी-बड़ी अदालतों में कहा जा चुका है, तो आप कैसे उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा? इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसके बारे में क्यों मौजूदा सरकार नहीं सोचे? जो नरेंद्र मोदी लगातार सनातन के लिए काम किए हैं, हिंदुओं के लिए काम किए हैं। एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिए हैं, वो जरूर इसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि ये किसी एक के घर की बात नहीं है। ये भेदभाव अगर होने लगा, ये दिक्कतें आने लगी, तो कौन-कौन बचेगा, ये बड़ा प्रश्न है और सिर्फ दो बात कही जा रही है कि जनरल को भी उसमें शामिल कर दीजिए अगर उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है। दूसरी बात कि भाई कोई झूठी शिकायत करेगा तो ऐसा कड़ा प्रावधान रखिए, वो सबके लिए कर दीजिए।

विदित है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो हलचल थी, अब वह सीधे बीजेपी के भीतर की लड़ाई बनती दिख रही है और इस लड़ाई की अगुआई ब्रजभूषण शरण सिंह करते नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह का नाम आते ही सियासत में हलचल तेज हो जाती है।

क्योंकि वो जब बोलते हैं तो सीधा असर ऊपर तक दिखता है। कलराज मिश्र के बाद जब ब्रजभूषण सामने आए तो बीजेपी खेमा दो हिस्सों में बंटता नजर आया। एक तरफ वो नेता जो चुप हैं और दूसरी तरफ वो आवाज जो खुलकर सरकार को आंख दिखा रही है। ब्रजभूषण ने साफ कर दिया है कि यूजीसी का यह कानून समाज को जोड़ने वाला नहीं बल्कि फाड़ने वाला है और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो सड़क पर उतरना तय है। यह बयान सवर्ण समाज के लिए संकेत है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। ब्रजभूषण ने सोशल मीडिया पर सामने आकर जिस तरह अपनी बात रखी, उसने सियासत की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे समाज को शक की नजर से देखना गलत है। खासकर सवर्ण समाज को कठघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि इस कानून से सवर्ण समाज में डर और असमंजस फैल रहा है। लोग सोचने लगे हैं कि कहीं हर घटना का जिम्मेदार उन्हें ही न बना दिया जाए। यही डर इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही वजह है कि ब्रजभूषण अब खुलकर सामने आए हैं। यह सिर्फ कानून का विरोध नहीं बल्कि सवर्ण समाज की चिंता की आवाज है अपनी बात को जमीन से जोड़ते हुए ब्रजभूषण ने गांव की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि समाज दफ्तरों में नहीं, गांव में चलता है। गांव में आज भी बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं। कोई यह नहीं पूछता कि कौन सवर्ण है, कौन दलित, कौन पिछड़ा है। यह सब कानून से नहीं बल्कि सनातन परम्परा से चलता आया है। उन्होंने कहा कि यह नियम बच्चों के मन में जाति का डर भर देगा, जो अब तक नहीं था और यही डर समाज को अंदर से कमजोर कर देगा। सवर्ण समाज को लग रहा है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और यही भावना अब गुस्से में बदल रही है। ब्रजभूषण ने सनातन परम्परा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमेशा जोड़ने वाली रही है, तोड़ने की नहीं। कमजोर को ऊपर उठाने की बात करती है, ना कि किसी एक समाज को दोषी ठहराने की। उन्होंने साफ कहा कि अपराध करने वाला कोई भी हो, सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे समाज पर शक करना गलत होगा। उन्होंने चेताया कि अगर ऐसे कानून चलते रहे तो आने वाले वक्त में समाज में इतनी कड़वाहट आ जाएगी कि लोग एक दूसरे के घर जाने से भी कतराएंगे। यह हालात देश के लिए ठीक नहीं होंगे और इसका सबसे बड़ा असर सामाजिक तानेबाने पर पड़ेगा यहीं से ब्रजभूषण शरण सिंह सवर्ण समाज के साथ खुलकर खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो आंदोलन होगा और यह आंदोलन सिर्फ सवर्ण समाज का नहीं होगा। इसमें हर वर्ग, हर समाज शामिल होगा, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक जाति की नहीं बल्कि पूरे समाज को टूटने से बचाने की है।

बताते चले कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले जिस आवाज ने सियासी गलियारों में हलचल मचाई, वह ब्रजभूषण शरण सिंह ही थे। क्योंकि उन्होंने बिना घुमाए फिराए साफ कहा कि कोर्ट ने समय रहते देश को बड़े खतरे से बचा लिया। उनका कहना था कि अगर यूजीसी के नए नियम लागू हो जाते तो हालात बेकाबू हो सकते थे और पूरा समाज दो हिस्सों में बंटने की कगार पर पहुंच जाता। यही बयान इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत एंट्री पॉइंट बन गया। क्योंकि इसके बाद साफ हो गया कि मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि सियासत और सामाजिक संतुलन का भी है। कोर्ट के फैसले और ब्रजभूषण के बयान ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया, जिसने सरकार को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जबकि सवर्ण समाज ब्रजभूषण के बयान से खुश दिखा, तो वहीं बीजेपी नेता दबदबे वाले नेताजी के बयान से घबराते हुए दिखाई दिए। क्योंकि ब्रजभूषण ने बिना लाग लपेट के न सिर्फ सवर्णों का खुलकर साथ दिया, बल्कि यूजीसी पर अपने तेवरों से भौकाल जमा दिया, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। कुछ लोग तो सीधा-सीधा मोदी शाह के खिलाफ उनके बयान को दर्शा रहे हैं, क्योंकि वह पहले काफी समय से खामोश थे, लेकिन जब बोले तो हंगामा खड़ा हो गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर यह भी साफ कर दिया कि नियमों की भाषा ही सबसे बड़ा खतरा थी। अदालत ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और जब नियम साफ नहीं होते तो उनका गलत इस्तेमाल होना तय माना जाता है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आजादी के 78 साल बाद भी अगर देश जातिगत भेदभाव से बाहर नहीं निकल पाया तो यह गंभीर चिंता का विषय है। सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने अमेरिका जैसे हालात का जिक्र किया और इशारों में चेताया कि कहीं ऐसा न हो कि समाज में अलगाव की दीवारें खड़ी हो जाएं। यह टिप्पणी साधारण नहीं थी, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा राहत उन छात्रों को मिली जो लंबे समय से यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे। सवर्ण छात्रों का आरोप था कि नए नियम उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं। कई यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए, कई जगह कैंपस बंद रहे और सरकार से मांग की गई कि नियम वापस लिए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वही छात्र कह रहे हैं कि उनकी आवाज आखिरकार सुनी गई और यह फैसला उनके संघर्ष की जीत है। यहीं से राजनीति ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलकर कहा कि अगर कोर्ट बीच में नहीं आती तो यह मुद्दा देशव्यापी आंदोलन बन जाता। उन्होंने साफ कहा कि यूजीसी के नए नियम समाज का ताना बाना बिगाड़ सकते थे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। उनका यह बयान सीधे सरकार पर निशाना था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे फैसले बिना व्यापक चर्चा के नहीं लेने चाहिए। जब एक बड़ा नेता इस तरह खुलकर बोलता है तो यह साफ संकेत होता है कि अंदर खाने में भी बेचैनी है। ब्रजभूषण के बाद उनके परिवार से जुड़े नेताओं ने भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया। प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि नियमों में जाति से जुड़ी बातें साफ नहीं थी और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। उनका कहना था कि ऐसे नियम समाज में कटुता बढ़ाने का काम करते हैं। इससे पहले भी सरकार को आगाह किया गया था कि शिक्षा जैसे

बृजभूषण सिंह

कलराज मिश्र एवं बृजभूषण सिंह

संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या सरकार ने राजनीतिक गणित के चक्कर में सामाजिक संतुलन को नजरअंदाज कर दिया? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की राह क्या होगी? क्या सरकार यूजीसी के नियमों में बदलाव करेगी या फिर यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा? क्या मिशन 2027 से पहले यह मुद्दा और बड़ा सियासी हथियार बनेगा? फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक और ब्रजभूषण शरण सिंह के तीखे बयान ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है।

एक पुरानी कहावत है-''सौ सुनार की तो एक लुहार की'', इस बात को फिर सच कर दिखाया बृजभूषण शरण सिंह ने। जिनके तेवरों ने देश की सियासत को भी हिला कर रख दिया। एक ओर जहां चंद्रशेखर यूजीसी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बृजभूषण ने खुलकर यूजीसी पर सवर्णों का साथ देकर न सिर्फ हुंकार भरी बल्कि कलराज मिश्र का आशीर्वाद लेकर बीजेपी को भी चोट दे दी। जिसके बाद बीजेपी के दबदबे वाले नेता जी यानी बृजभूषण की चर्चा चारों ओर होने लगी। क्योंकि सवर्णों के लिए खुलकर लड़ने वाले बृजभूषण ने साफ यह बात कही कि आप और हम बयान न देते तो सरकार पीछे न हटती। इस एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दरअसल कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जब वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पहुंचे तो सिर्फ शिष्टाचार नहीं दिखा बल्कि एक साफ संदेश भी दे दिया। पैर छूकर आशीर्वाद लिया, अंगवस्त्र और बुके भेंट किया और खुले मंच से कह दिया कि आपके हमारे बयान के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। यह वही यूजीसी बिल है, जिसने देश की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया। बृजभूषण ने साफ कहा कि यूजीसी बिल को लेकर सरकार की तरफ से कोर्ट में मजबूती नहीं दिखाई गई। सॉलिसिटर जनरल ने विरोध नहीं किया और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी। आपको बता दें, बृजभूषण ने इसे देश के लिए अच्छा बताया और कहा कि माहौल खराब हो रहा था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कलराज मिश्र ने उन्हें 1991 में सांसद का टिकट दिलाया था और उससे पहले 1989 में विधानसभा परिषद का टिकट भी बिना मांगे मिला था। ये बातें सिर्फ यादें नहीं थी, बल्कि यह दिखाने की कोशिश थी कि सियासत में पुराने रिश्ते और भरोसा आज भी काम करते हैं। बृजभूषण ने यह साफ कर दिया कि लड़ाई किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि समाज की समरसता के लिए है। यूजीसी पर बृजभूषण पहले भी खुलकर बोल चुके हैं। कलराज मिश्र का यूजीसी बिल पर दिया गया बयान भी इस पूरे घटनाक्रम की बड़ी वजह बना। उन्होंने कहा था कि किसी एक वर्ग को हमेशा संदेह के दायरे में रखना संविधान की भावना के खिलाफ है। शिक्षण संस्थानों में समानता और न्याय जरूरी है, लेकिन निगरानी और अनुशासन के नाम पर डर का माहौल बनाना खतरनाक है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2012 के नियमों में शिकायत निवारण की व्यवस्था सभी के लिए बराबर थी। बृजभूषण ने इसी बयान के लिए कलराज मिश्र का धन्यवाद दिया और कहा कि इससे सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि सरकार के भीतर भी यूजीसी बिल को लेकर एक राय नहीं है। इधर दूसरी तरफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी यूजीसी के खिलाफ 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी हल्ला बोल का आयोजन किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक तरफ सवर्ण समाज की आवाज तेज हो रही है तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़े वर्ग आंदोलन की राह पर है। बृजभूषण के बयान और मुलाकात से चंद्रशेखर की राजनीति पर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। यूपी की सियासत अब साफ तौर पर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है और दोनों ही सड़क पर उतरने को तैयार दिख रहे हैं। इधर ब्रजभूषण जब आंदोलन की बात करते हैं तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार क्या करेगी।

बहरहाल, आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का यूजीसी बिल पर बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगी। लेकिन लोगों ने कहा कि कानून आपकी देखरेख में बना, रूल आपकी देखरेख में बना और आपको यह दिखाई नहीं दिया कि यह कितना विभाजनकारी और कॉलेज में आप क्या चाहते हैं। इनकी खूब जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। कम्युनिटी नोट इनके उसके ऊपर भाषण के ऊपर लग गया। धीरे-धीरे पूरा कास्ट को लेकर के बवाल मचना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना शुरू हुआ। सरकार के विरोध में जहां तहां विरोध होने लगे। लोग कहने लगे कि हमने सरकार को वोट देकर गलती कर दी। जनरल कास्ट की तरफ से विशेष रूप से और समाज के वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदू एक रहे उन सब ने सरकार को ट्रोल करना, कोसना शुरू कर दिया कि साहब आपकी सरकार तानाशाही करी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देश को आप तोड़ेंगे। इस बात को देखते हुए एक दो जगह ऐसी चीजें भी सुनने को मिली कि सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बागेश्वर सरकार बाहर निकल कर आते हैं। वह बयान देते हैं कि सरकार देश को तोड़ो मत। कवि कुमार विश्वास बाहर निकल कर आते हैं कि सरकार देश को तोड़ो मत और तो और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि कसाब को तो पहले जांच किया गया फिर सजा दी गई और सवर्ण को पहले सजा दी जाएगी, फिर जांच की जाएगी। तो क्या सवर्ण जो है वह कसाब से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है? देश में

एक काफी बड़ा माहौल बना। हद तब हुई जब राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने 26 जनवरी के भाषण में जब इन्होंने सब की बातें रखी। लेकिन जनरल कास्ट शब्द यूज नहीं किया तो फिर से कम्युनिटी नोट इनके भाषण पर भी लग गया कि आपके द्वारा देश के अंदर देश के नागरिक बोलने से क्या बिगड़ जाता। देश के नागरिक क्या महिला, बच्चे, दलित यह सब नहीं है। आप जनरल को छोड़कर सबको देश का नागरिक कैसे मान रहे हैं। खैर, खूब तरह से सरकार के विरोध में प्रदर्शन देश के विभिन्न कोनों में हुए। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल पहुंची और सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस पर अपनी बात को रख देती है। कहती है कि हमने जातिविहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि जातिविहीन पहले तो सरकार चाहती थी कि विभेद ना हो, इसके प्रयास के लिए शिक्षा को आगे लाया गया। लेकिन अब शिक्षा के केंद्रों में ही अब जाति के आधार पर अगर लोगों को लड़ाना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे हम जातिविहीन समाज की कल्पना कर पाएंगे? कोर्ट में न्यायाधिशों ने इस बात को

धीरेन्द्र शास्त्री

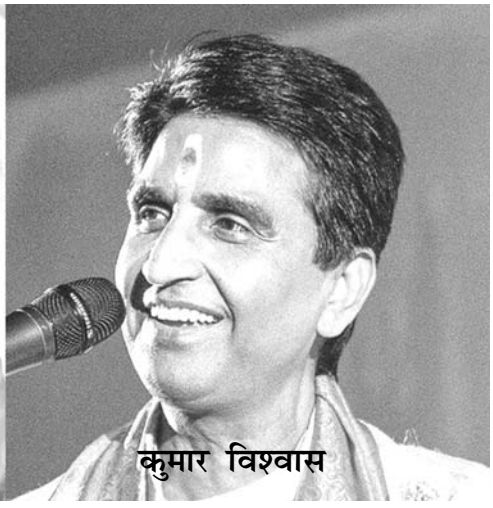
कुमार विश्वास

रखा। सरकार के सामने एडवोकेट्स ने जजेस के सामने अपनी बात रखी, जिसमें इस बात को कहा गया कि आप डिस्क्रिमिनेशन में एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रहे हैं लेकिन कोई छात्र दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो क्या कीजिएगा? कहीं पर रैगिंग हो रही है वहां डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तब क्या कीजिएगा? मतलब कुल मिलाकर के तमाम प्रकार के भेदभाव समाज में व्याप्त हैं उनको आप कैसे आंसर करेंगे? आप जाति के आधार पर कैसे लड़ा सकते हैं?

धर्मेन्द्र प्रधान

कुल मिलाकर वकीलों की दलीलें काम आई। सुप्रीम कोर्ट ने सबको ध्यान से सुना और केंद्र को नोटिस जारी करके कहा कि 19 मार्च को फिर से सुनवाई करेंगे लेकिन तब तक के लिए इस मामले को रोक दिया गया है। हमने इसकी जानकारी आपको ट्वीट करके भी दे दी थी और कहा कि यह प्रावधान अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग की ज्यादा संभावना है। ऐसे में इन नियमों को दोबारा से ड्राफ्ट करें। तब तक के लिए इनका एग्जीक्यूशन स्थगित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके चलते शोसल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लग गया। बीजेपी के एक नेता जो कि पहले भी इस कारण से ट्रोल हो रहे थे, जब वह यह कह रहे थे कि इसी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया था, भूल जाओगे। तो लोगों ने कहा कि आप पिछले काम को आज के काम से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। लोगों ने इनको इस पर पकड़ लिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, सांसद महोदय आपकी सुन रही है? ऐसे में खैर सत्तापक्ष के साथ-साथ समझदारी विपक्ष की भी कही जाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी इस पर खुद निकल कर आगे आई और उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला लिया। मतलब यह पहला ऐसा मसला था जहां पर विपक्ष के नेता भी सत्तापक्ष के साथ दिखाई दिए। टीएमसी के जो सांसद हैं वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए नजर आए कि हां आपने अच्छा किया। वही दलित नेता के रूप में जानी जाने वाली मायावती जी इस पर बाहर आई और उन्होंने कहा कि यूजीसी पर आपको पहले से ही सोचना चाहिए था कि समाज में किसी प्रकार का विभाजन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वह अच्छा किया। कुल मिलाकर के देश के नेताओं में एक सकारात्मक भूमिका निभाई कि समाज को तोड़ने वाले विभाजनकारी नियम ना हो। खैर, दक्षिण के नेता एम.के. स्टालिन हैं, उन्होंने फिर से इन नियमों का विरोध किया है। उनकी राजनीति दलित वोट के आधार पर ज्यादा अच्छे से चल रही होगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर जो फिलहाल नियम दिए, इनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल सबसे बड़ा है कि यह स्थिति आती ही क्यों है। आपके नियमों को आपने कहा, फिर आपने लागू किया और फिर पलट दिया। आपने फिर इस तरह की स्थिति बनाई। कल को आप प्रेशर में काम करने लगेंगे। वही आपने अरावली की परिभाषा दी थी। जब जनता का प्रेशर बढ़ने लगा, आप फिर पलट गए। आपने दिल्ली के प्रदूषण, उन्नाव के सेंगर का जो मामला था, इस मामले में भी कोर्ट को पलटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट यही रहेगी समस्त भारतीयों की कि कृपया करके न्याय केवल शब्दों में ना हो, होता हुआ दिखे। समस्त भारतीय आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप जब गाइडलाइंस बनाएं या जो भी आपकी तरफ से समाज को प्रभावित करने वाले नियम हैं, उनको प्रॉपर तरीके

मायावती

एम.के. स्टालिन

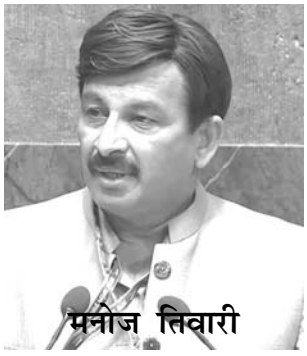
मनोज तिवारी

से। आपके पास विद्वान लोगों की पूरी फौज है। उनसे उनका अध्ययन करवाएं ताकि किसी प्रकार से देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े ना। देश की एकता ना बिगड़े। देश संयुक्त रूप से देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने में मदद मिले। दिगर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि हमने कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया है, जिसमें ओबीसी और एससी, एसटी को अलग कर दिया जाए और जनरल को अलग कर दिया जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से समाचार मीडिया के माध्यम से सरकार के जो रिप्रजेंटेटिव आ रहे थे, वो बार-बार कह रहे थे कि यह पूरा सुप्रीम कोर्ट की दिशा-दिशा निर्देश के अनुसार हो रहा है। ऑनरबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्पॉडेंट की तरफ से अपीयर होते हैं, उनसे कह दिया कि हमारी गाइडलाइन में दिखाइए कि कहां हमने कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी को अलग कर दीजिए और जनरल को अलग कर दीजिए। 'डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर' हमने कहा ही नहीं है। किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो वह कमेटी के पास जा सके, चाहे वह जनरल का बच्चा ही हो।

गौरतलब है कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने आने शुरू हो गये हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा नीति है और सबसे बड़ा जो हमारा फिलॉसफी है-वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास; और सबके प्रयास से यूजीसी पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। लेकिन यूजीसी का यह रूल संसद ने नहीं बनाया। एक डिपार्टमेंट ने अपना कुछ नॉर्म्स बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि रोक लगा ही दिया है, उसकी समीक्षा हो रही है और जो चीजें सामाजिक एकता को और सौहार्द को बिगाड़ती हैं, उसको ठीक कर लिया जाएगा। मैं बारह साल से नरेन्द्र मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं। जिसने इस देश में 370 हटाया हो, जिसने इस देश में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया हो, जिसने करोड़ों लोगों को अनाज, इलाज, सड़क, पुलिया, पुल, बड़े-बड़े हाईवेज और यहां तक कि ईडब्ल्यूएस तक का रिजर्वेशन दिया हो, उनके ऊपर संदेह करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। रही बात यूजीसी के जो नॉर्म्स में एक दो लोगों को आपत्तियां थी, तो जैसे एक आपत्ति है कि भाई कोई झूठा आरोप लगा दे तो उस पर भी केस होना चाहिए। वह चाहे उस रूल में लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन इस देश में जो भी झूठा आरोप लगाता है और वह सिद्ध हो गया तो उसको सजा होनी ही होनी है। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। कोई भी झूठा आरोप किसी पर नहीं लगा सकता। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों का तर्क था कि वहीं लिखा होना चाहिए, वह भी हो जाएगा। थोड़ा सा संयम रखा जाए। दूसरी तरफ यूजीसी पर अन्य दलों के नेताओं की अपनी राय है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक्स पर लिखा है, इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि 'न्यायिक तटस्थता' अक्सर एक मिथ होती है; असली महत्व इस बात का है कि कानून किस 'यथास्थिति' को संरक्षण देना चुनता है''। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि 'यूजीसी की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई थी, सरकार ने इसे कमजोर कर दिया। सरकार को इस गाइडलाइन का दायरा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यह विवाद खड़ा किया गया है और यह बीजेपी का मुद्दा है। इसकी वजह से छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए'। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि 'देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियम से सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है'। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 'बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय। न किसी पर जुल्म और ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी'। उन्होंने कहा कि कानून की भाषा और भाव, दोनों 'साफ' होने चाहिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के भेदभाव संबंधी नियम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने को 'बड़ी राहत' बताया। गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा कि 'यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है'। सबसे दिलचस्प है कि गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति आभार जताया है।

विदित हो कि आज तक इन सभी नेताओं ने जिन्होंने आरक्षण प्राप्त किया है, इनको आरक्षण क्यों चाहिए? इसका पैमाना कैसे निर्धारित होगा? यह बोलते हैं कि हमारा शोषण हुआ। शोषण उन पेशवाओं का हुआ है पिछले सौ सालों से। 82 पेशवाओं में से 74 पेशवा युद्धभूमि में मारे गए। 14 हजार ब्राह्मण मध्यप्रदेश को स्वतंत्र कराने में मारे गये। 75 हजार ब्राह्मण पानीपत में अब्दाली को रोकने में मारा गया। 7 लाख से ज्यादा ब्राह्मण 1857 की क्रांति में कटनी से लेकर, मध्यप्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में मारा गया। इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है? इसका हिसाब कौन लेगा? इस देश में शोषण की परिभाषा नियत करने का समय अब आ गया है। शोषण की परिभाषा निर्धारित करने की मांग करिए। इस तरह से वैकल्पिक या मनमर्जी शोषण की परिभाषाएं

मनोज झा

जॉन ब्रिटास

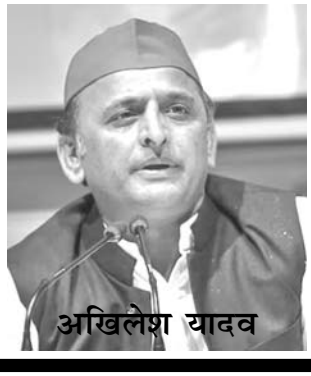
अखिलेश यादव

नहीं चलेंगी। आज ब्राह्मणों के लिए, उनकी गरीबी के लिए, उनके बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और दसवीं में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नापने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी परियोजना जारी की है या कौन सी कमेटी बैठाई है? वही एक मुसीबत कम थी क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि अब एक और मुसीबत निकल कर सामने आ गई है। मोदी सरकार के यूजीसी कानून का विरोध ब्राह्मण समाज के जरिए लगातार किया जा रहा है। इस लेवल तक, इस हद तक कर दिया गया है कि अब सीधे राष्ट्रपति को खून से लिखा हुआ छात्रों ने खत भेज दिया है। यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे मोदी और योगी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठकर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर अब ब्राह्मण समाज ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया है। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इन तमाम मामलों पर संज्ञान लेंगी, क्योंकि सरकार तो चुप है। सरकार जिस तरीके से चुप्पी बड़े संवेदनशील मामले में अख्तियार कर लेती है, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों का क्या बुरा हाल हो जाता है। लोग कैसे अपनी बातों को रखने के लिए, मनवाने के लिए कितना जद्दोजहद करते हैं, लोगों की जाने तक गई। आपको याद होगा किसान आंदोलन, ये वो आंदोलन है जहां पर कई किसानों की जान चली गई और फिर एक-डेढ़ साल बाद सरकार को याद आया कि अच्छा ठीक है उनसे गलती हो गई। तो क्या यूजीसी कानून जो सरकार के जरिए लाया गया है, जो कि सवर्णों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उस पर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। देश में इस वक्त शिक्षा को लेकर सड़कों पर गुस्सा है, सवाल है और चेतावनियां हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों के खिलाफ विरोध अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि राष्ट्रपति को खून से लिखे पत्र तक जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने खून से लिखा हुआ पत्र दिया है। यह कदम जितना भावनात्मक है, उतना ही गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। क्या देश की शिक्षा नीति को लेकर लोगों की बात सुनने के लिए उन्हें अपनी जान और खून का सहारा लेना पड़ेगा? यूजीसी के खिलाफ उठ रही यह आवाज सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। खून से लिखा पत्र सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन इससे उठता सवाल बेहद साफ है कि जब शिक्षा की बात आती है तो क्या सरकार सिर्फ कागज देखेगी या जमीन पर उबलते गुस्से को भी सुनेगी? यह जो हो रहा है देश में, यह सही नहीं हो रहा है और इसको लेकर भयंकर तरीके से लोग अब अपनी आवाजें बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमें हमारे साथ अन्याय कर रही है और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। दरअसल, यूजीसी के नए नियम आने से जातिगत भेदभाव 118.4% बढ़ गए हैं, तो विरोध क्यों हो रहा है इसे लेकर भी एक विश्लेषण किया गया है। कहा जा रहा है कि यूजीसी के जिस नियम पर बवाल मचा है उसको आखिर क्यों लाया गया है? क्या देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज में जातिगत भेदभाव की शिकायत तेजी से बढ़ रही है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी द्वारा नए सख्त नियम जारी किए जाने से पहले इसकी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले पाँच सालों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें और 118.4% की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई थी। यूजीसी ने यह आंकड़ा एक पार्लियामेंट्री पैनल और सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपा था। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2020 में जातिगत भेदभाव की 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं। 2023 से 2024 तक यह संख्या बढ़कर 378 तक पहुंच गई। यानी पाँच साल में 118.4% की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर इन पाँच सालों में 1118 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इनमें से 90 से ज्यादा करीब 1052 सुलझा दिए गए हैं, लेकिन लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई। लंबित मामला जैसे 2019 से 2020 और 2020 से बढ़कर 18% से बढ़कर, जो है सीधे 2023 से 2024 में 108% हो गए। यह आंकड़ा यूजीसी ने संसद की समिती और सुप्रीम कोर्ट को भी पहुंचाया है। शिकायत बढ़ने का सीधा मतलब तो भेदभाव का बढ़ना है और कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि छात्रों में जागरूकता बढ़ी है, इसलिए शिकायतें बढ़ी हैं। अब वो एससी-एसटी सेल और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में ज्यादा जानते हैं और शिकायत दर्ज करा देते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेसरों का कहना है कि यह बढ़ोतरी असल में भेदभाव बढ़ने की निशानी है। 2012 के नियमों में जातिगत भेदभाव की साफ परिभाषा नहीं थी। खासकर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को ठीक से कवर किया गया था। इसके साथ ही शिकायतों पर कार्रवाई में देरी होती थी और सेल की स्वतंत्रता कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जाति आधारित डाटा मांगा था।

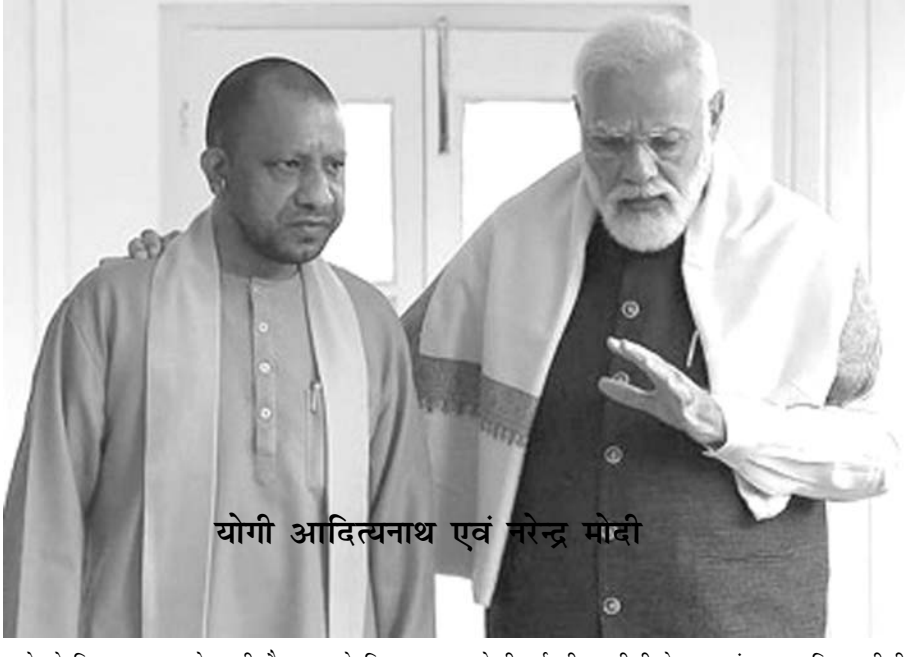

योगी आदित्यनाथ एवं नरेन्द्र मोदी

गौरतलब है कि देश में जातीय भेदभाव का आंकड़ा यूजीसी आने से पहले का जिस प्रकार बताया गया तो आप अंदाजा लगा लिजीए की यूजीसी 2026 के नये नियम से इसके आंकड़े कहां तक जायेंगे। बिडम्बना देखिए कि यूजीसी ने समाज को दो भागों में बांट दिया-अगड़ी और पिछड़ी जाती में। ऐसे में सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर शुरू हो गया है। ब्राह्मण देश छोड़ों के नारे लगाये जा रहे हैं, ब्राह्मण बेटियों को पीटा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटने तक की बात कही जा रही है, ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। वर्षों से अगड़ी-पिछड़ी जातियों में जात विभेद का द्वेष धधक रहा था, ऐसे में यूजीसी बिल ने उस आग में घी का काम कर दिया। हैवानियत ऐसी की ब्राह्मण बेटी रूचि तिवारी, जो एक यूट्यूबर पत्रकार है को जात पूछकर ब्राह्मण जानते हुए सैकड़ों लोगों ने मॉब

रूचि तिवारी

मृतक पंडित इंद्रभान द्विवेदी

लिचिंग की कोशिश की गई। वे कौन थे, कहने की जरूरत नहीं। दिल्ली की यह घटना समाज को शर्मसार कर गई, क्योंकि रूचि ब्राह्मण जाति के साथ ही एक महिला भी थी। उस लड़की के साथ ऐसा होता देख दिल्ली प्रशासन भी मूकदर्शक ही बनी रही और खबर लिखे जाने तक उसे इंसाफ नहीं मिल सका, क्योंकि वह ब्राह्मण थी। अगर यह कोई पिछड़े समाज से होती तो शायद इनको कुछ साबित भी नहीं करना पड़ता। इन सब पर एससी/एसटी लग चुका होता, सारे अंदर होते हैं। अभी तो इनको साबित करना पड़ रहा है। उक्त घटना पर एक चैनल के डिबेट् पर रूचि कहती हैं कि जेएनयू में प्रोटेट के दौरान वह कवरेज कर रही थी, इसी बीच वहां मौजूद अन्य जो पत्रकार है, वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर एससी/एसटी एक्ट लगा दूंगा। इसके बाद वो लगाएगा। ये खुलेआम अपनी वीडियो में वो बोल रहा है लगातार कि मैं इसके ऊपर जो एससी एसटी एक्ट लगाऊंगा लड़की (रूचि तिवारी) के ऊपर। इसने मुझे जातिसूचक शब्द बोले हैं। ये वो वीडियो प्रूफ दिखाए। जेएनयू में जो नारा लग रहा है वो क्या है? 'ब्राह्मणवाद हो बर्बाद', 'ठाकुरवाद हो बर्बाद' उसके बाद, 'हिंदू राष्ट्र हो बर्बाद'। ये आप उनको सुनिए तो समझ में आएगा। इस देश के संविधान निर्माताओं ने जो किया और हमारे नेताओं की विफलता है। यूजीसी का जो नियम है, वो बेहद घटिया है। सरकार में बैठे जिन लोगों ने भी इसको लागू किया, उनको सामान्य समझ नहीं है या उनके भीतर कोई गहरी कुंठा है। ये जब एससी/एसटी की बात होती है तो एकदम दुरुस्त बात है। ये इसको कोई नकार नहीं सकता कि एक वर्ग है, जिसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी और एससी/एसटी कोई जाति तो है नहीं। शेड्यूल कास्ट

और शेड्यूल ट्राइब है यानी अनुसूचित जाति जनजाति है। अगर सरकार को लग रहा है समाज का कोई हिस्सा वो पिछड़ा है, आप उसमें उसको डाल दीजिए। ये जो अलग से ओबीसी की लड़ाई शुरू हुई, यह कितना विचित्र लगता है कि आप एक ही टीवी डिबेट में बैठे हो। भारत का संविधान है, लोकतंत्र है और हम किसी को कह रहे हैं, अगड़े से आते हैं, ये पिछड़े से आते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम पिछड़ी जाति से आते हैं। कोई कहता है हम अगड़े जाति से आते हैं, सवर्ण और ये मतलब समझ में नहीं आता और जब आप आजादी के 78 वर्ष बीत गए, हम जहां खड़े हैं तो दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो जाति है, जाति तो कभी बनी ही नहीं, वो तो वर्ण था। अगर आप मनुस्मृति की बात कहेंगे तो उसमें वर्ण था, उसमें जाति का तो जिक्र नहीं। देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद भी नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो सोसाइटी के भीतर वो कैसे ठीक होगा? जब आप दोनों तरफ से चीजें दुरुस्त करेंगे। एससी/एसटी एक्ट में सिर्फ ब्राह्मण या ठाकुर तो फंस नहीं रहा। एससी एसटी एक्ट में तो जिसको ओबीसी कहा जाता है, वो भी फंसता है और सोशल मीडिया पर आप देखिए। राह चलते कोई भी कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए, ठाकुर की बेटी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हिंदू सभ्यता, संस्कृति में समाज में कोई ऐसा बटवारा नहीं है और जो बटवारा है, उसको ठीक संविधान के जरिए हम कर लें। लेकिन ये जो ढ़ोल बजाने वाला गैंग है, ये जो आयातित है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो तो भारत विरोधी है! उसमें कोई अदिति मिश्रा ब्राह्मण नाम लगा हुआ है। सीताराम येचुरी अब नहीं रहे, लेकिन वो ब्राह्मण थे। पूरे कम्युनिस्ट, ये ब्राह्मण, ठाकुर, दलित इसकी लड़ाई नहीं है। ये भारत के संस्कृति संस्कार के साथ खड़े लोगों की और दूसरे जो देश को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये जितने जेएनयू के लोग जो ढ़ोल बजाकर, नारे लगाकर सुर्खिया बंटोर रहे हैं, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि कौन इसका आयोजक था, जो ''ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, आरएसएस को चीर कर, बीजेपी को चीर कर बिरसा मुंडा, अंबेडकर, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, बीजेपी की छाती पर, आरएसएस की छाती पर. ....।'' इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से देश चलना चाहिए और आज का कानून है मोदी जी का, गृह मंत्री का। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कंप्लेंटबाजी चल रही है, अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था। इनको समझ में आने लगा देश कहाँ जा रहा है।

वही एक दूसरी घटना

की बात करें जिसमें एक पुजारी ब्राह्मण की निमर्म हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए की वह ब्राह्मण थे। मध्य प्रदेश के सिधि जिले के रहने वाले पुजारी पंडित इंद्रभान द्विवेदी को महाशिवरात्री के दिन लाला केवट नाम का ब्राह्मणविरोधी अपराधी ने आठ बार तेजधार हथियार से वार कर सर ध र से अलग कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। ज्ञात हो कि बिहार राज्य में 90 का दशक इसी जातीय रण में खून से पटा परा था। कम्युनिष्टों और सवर्णों के बीच खूनी जंग में कई निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी। अब यूजीसी को लाकर केन्द्र सरकार पुनः पीछले दौर में ले जाने को तैयार दिख रही है। सनद् रहे कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई तो ये सारे हिंदू ही थे, एक भी थे और अब बट भी रहे हैं, कट भी रहे हैं। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई है। बड़े शर्म की बात है कि आज ट्रम्प लगा हुआ है पेट्रोल बेचने में, रूस हथियार बेचने में, चाइना व्यापार करने में और हम बटोगे-कटोगे, हिंदू एक हो जाओ में लगे हैं।

बहरहाल, यूजीसी नियम के खिलाफ जो विरोध शुरू हुआ था, वो अब आंदोलन का रूप ले चुका है और इस बार ब्राह्मण समाज ने ऐसा प्रण लिया, जिसने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। जबकि योगी भी देखकर हैरान हैं, क्योंकि पहली बार हिंदू एकता का ऐसा विरोध होगा, जिससे ना सिर्फ एक सख्त मैसेज जाएगा बल्कि उम्मीद है कि यूजीसी पर होने वाला यह विरोध सरकार के नेताओं की कुर्सियां भी हिला सकता है। क्योंकि खबर है कि सवर्ण समाज समन्वय समिति के साथ जुड़े चालीस से ज्यादा संगठनों ने साफ कर दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मदन मोहन मालवीय मिशन स्मृति भवन से जो आवाज उठी, उसने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगर सरकार ने यूजीसी नियम वापस नहीं लिया तो 8 मार्च 2026 को रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन होगा। यह सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि चेतावनी है। 1 फरवरी को देशव्यापी बंद के समर्थन के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में इस मुद्दे की चर्चा शुरू हो चुकी है और लोग कह रहे हैं कि अब बात आर-पार की है। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि यह नियम समाज को जोड़ने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की रोक से बात खत्म नहीं होती, क्योंकि असली फैसला संसद को लेना होगा। जब तक संसद इस नियम को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अलग-अलग संगठनों के नेताओं ने भी एक सुर में यही बात कही। करणी सेना से लेकर भीम सेना तक और हिंदू महासभा से लेकर कायस्थ महासभा तक, सभी ने सरकार को सीधा संदेश दे दिया है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ शिक्षा का नियम नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी से जुड़ा सवाल है। यही वजह है कि इस बार विरोध सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। तैयारी जमीन पर दिख रही है। लोग अपने-अपने स्तर पर जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चुप रहने का वक्त निकल चुका है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि अब डर खत्म होता दिख रहा है। पहले लोग सोचते थे कि कोर्ट देख लेगा या सरकार समझ जाएगी, लेकिन अब भरोसा टूट चुका है। यही वजह है कि तलवार और मशाल जैसे शब्द खुलेआम बोले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर बात नहीं सुनी गई तो सड़क से संसद तक दबाव बनेगा। दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर बैठकों तक एक ही बात चल रही है कि यूजीसी नियम वापस होना चाहिए। गांव में चौपालों पर और शहरों में सभाओं में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में यह नियम लाया गया? आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ सवर्ण समाज का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल है। क्योंकि जब शिक्षा में असंतुलन आएगा तो उसका असर हर घर पर पड़ेगा। अब सरकार के सामने चुनौती साफ है। एक तरफ कोर्ट की प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ सड़क पर उतरता जन दबाव। अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। 8 मार्च 2026 की तारीख अब हर चर्चा का केंद्र बन चुकी है। लोग इसे आंदोलन का निर्णायक दिन बता रहे हैं। रामलीला मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की परीक्षा का मैदान बनेगा। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अब हर आंख दिल्ली पर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना कि सरकार सुनेगी या टकराव बढ़ेगा? एक बात तय है कि यूजीसी नियम को लेकर जो तूफान उठा, वह आसानी से शांत होने वाला नहीं। अगर अनदेखी हुई तो आने वाले दिन सियासत और समाज दोनों को हिला के रख देंगे।●

राष्ट्रवाद का झोला टांग
मैं स्वर्ण आबारा हूं।
मुसलमानों से यदि बच जाऊं
तो दलितों का चारा हूं।
कांग्रेस ने दर्द दिया,
तब हमने कमल का फूल चुना।
यूं ही जेल में डाल रहे हैं
हमें कोई पड़ताल बिना।
इतना दिन तक भक्ति किया,
फिर भी मोदी का मारा हूं।
वोट बैंक की राजनीति में
मैं स्वर्ण बेचारा हूं।
भरोसा किया अपने नेताओं पे,
यूं ही नहीं हारा हूं।
अब भी चुप्पी रखा मैंने
तो मैं ही बड़ा नालायक हूं।
वोट बैंक की राजनीति को
मैं स्वर्ण बेचारा हूं।

Delhi CM Rekha Gupta presents Yearly report card of BJP govt

Marking one year in office, Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Friday launched a sharp attack on previous governments, asserting that her administration stands for performance over publicity.Addressing the media, the Chief Minister said her government has replaced "poster politics" with measurable outcomes and timeline-based governance.She alleged that both the 15-year rule of the Congress and the 11-year tenure of the Aam Aadmi Party focused on advertisements rather than solutions.

She said the current administration is working on the principle of "less paperwork, more work," adding that "tweet-and-delay" politics has ended and governance now operates under strict deadlines and accountability.On Yamuna cleaning, Gupta claimed that previous governments failed to deliver tangible improvements despite repeated announcements. She said her government has initiated sewage treatment plant upgradation, drain tapping and new pollution control projects to ensure concrete progress in river rejuvenation. Targeting waste management practices of earlier regimes, she said landfill mountains grew due to inadequate processing capacity. The present government, she added, has significantly enhanced biomining capacity with a target to process daily waste on the same day.

On air pollution, the Chief Minister said while earlier administrations relied on slogans and press briefings, her government has adopted a scientific roadmap covering short-term, mid-term and long-term measures, which is now under implementation. In the education sector, Gupta said previous governments prioritised publicity over structural reforms. She highlighted the implementation of a Fee Regulation Act to curb arbitrary fee hikes by private schools, stating that the move has provided relief to lakhs of parents.

On administrative functioning, she said the earlier culture of confrontation has been replaced with coordination and dialogue. The government, she added, has strengthened transparency through digital systems, financial discipline and institutional reforms. Taking a swipe at former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Gupta alleged that compensation for families of government employees and doctors who died during COVID remained pending for years under the previous dispensation, and claimed that her government has cleared all such cases.

Expressing confidence about the future, the Chief Minister said that within one year, the direction of governance in the national capital has changed and asserted that Delhi is moving from "blame games" to accountability-driven administration.

हम हैं कट्टर ईमानदार : केजरीवाल

● संजय कुमार सिन्हा

दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। केजरीवाल को उनके सहयोग मनीष सिसोदिया ने संभाला। आप नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और अब कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस मामले में केजरीवाल को कई महीने तक जेल में रहना पड़ा था।

बताते चले कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री (केजरीवाल) को घसीटकर जेल में डाला गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दो साल जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद साबित हो गया कि पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ डाला गया। उस समय 24 घंटे खबरें चलाई जाती थीं, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरवील ने कहा कि मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। शराब घोटाला मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्हें किसी तरह मनीष सिसोदिया ने संभाला। केजरीवाल ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए इस तरह देश और संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। यदि आपको सत्ता चाहिए तो अच्छे काम करिए। आज देश के महंगाई, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं हैं। सड़कें टूटी हैं, चोरों तरफ प्रदूषण है। इन समस्याओं का समाधान कर सत्ता में आइए, किसी पर झूठे केस क्यों करते हैं?

विदित हो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा-आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फक्र महसूस हो रहा है। मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया। ये साबित हो गया की देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है। जिसने साजिश रच कर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और सबसे सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को को बदनाम किया। हमारे नेताओं को जेल में यातनाएं दी गईं। देश से माफी मांगो नरेन्द्र मोदी।

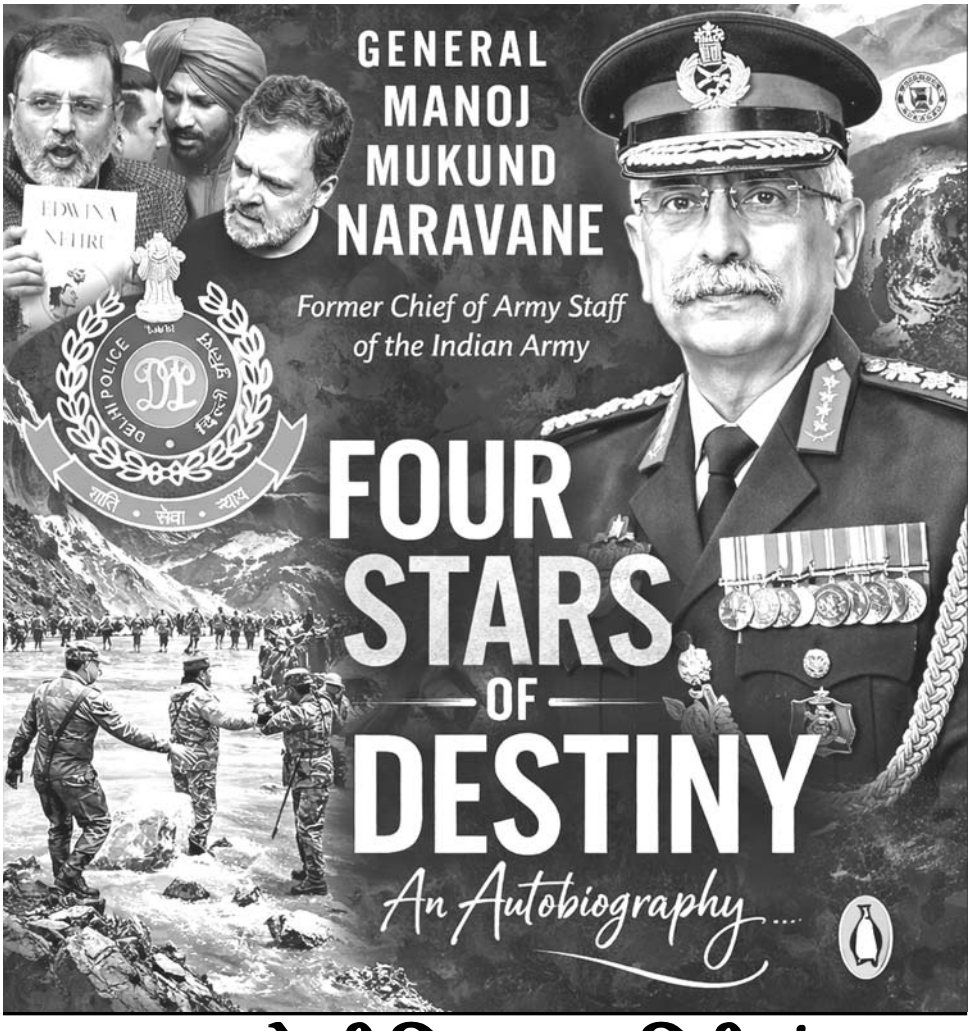

नरवणे की किताब पर छिड़ी जंग

संसद से सोशल मीडिया तक घमासान

● अमित कुमार

संसद में चीन और सीमा विवाद पर बहस के दौरान मर्यादा तार-तार हो गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिस पर भारी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर सियासी संग्राम और बढ़ गया है। एक तरफ प्रकाशक पेंगुइन किताब के रिलीज न होने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के ही एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। तो बता दें कि आखिर उस ट्वीट में ऐसा क्या था जिसने इस विवाद में घी डालने का काम किया? यह पोस्ट मनोज नरवणे ने 15 दिसंबर, 2023 में शेयर की थी। उन्होंने इसमें लिखा था- ''नमस्ते दोस्तो, मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक पर क्लिक करें... वहीं, पुस्तक के प्रकाशक 'पेंग्विन' ने लिखा- हम विजय दिवस की तैयारी कर रहे हैं, आइए अपने देश के नायकों का सम्मान करने के लिए एक पल निकालें, जिसकी शुरुआत/ManojNaravane से करते हैं, जो 28वें थल सेनाध्यक्ष हैं और जिन्होंने दशकों तक भारत देश की सेवा की है। उनकी कहानी जानने के लिए, अभी प्री-ऑर्डर करें।

दरअसल, इस पोस्ट से राहुल गांधी के दावे को भी बल मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 'फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी' को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट करना चाहते हैं। दूसरी ओर, सरकार की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी ऐसी पुस्तक के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अभी प्रकाशन ही नहीं हुआ है। किन्तु सवाल है कि आखिर पुस्तक पर विवाद क्यों है? तो बता दें कि हाल ही में (फरवरी 2026), लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में इस किताब के कथित अंशों का हवाला दिया, जिसके चलते सदन में भारी हंगामा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में 2020 के भारत-चीन सीमा विवाद (गलवान घाटी संघर्ष) के दौरान सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच समन्वय और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और लीक हुए अंशों के अनुसार, किताब में कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जो सरकार के लिए असहज हो सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, जनरल नरवणे ने अग्निपथ

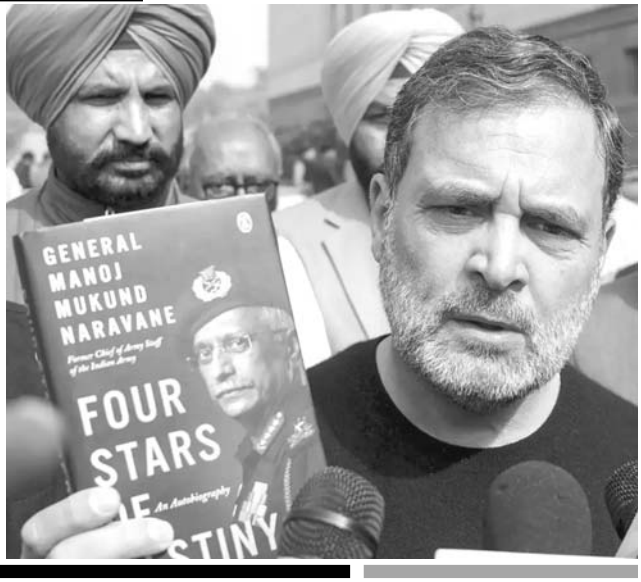

योजना की शुरुआत और सेना के शुरुआती रुख पर अपने विचार लिखे हैं। किताब में कथित तौर पर 31 अगस्त 2020 की उस रात का वर्णन है, जब गलवान में भारतीय और चीनी सैनिक आमने-सामने हो गए थे। विपक्ष का दावा है कि नरवणे ने पुस्तक में नेतृत्व की 'अनिर्णय की स्थिति' का संकेत दिया है। हाल ही में इस किताब की एक पीडीएफ कॉपी और कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रकाशक 'पेंगुइन' ने भी स्पष्ट किया है कि किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है और इसका कोई भी सर्कुलेशन अवैध है। वही बता दें कि सदन में दलील पेश करते हुए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की हालिया पुस्तक का हवाला दिया। उन्होंने पुस्तक के अंशों के आधार पर सरकार को घेरते हुए चीन के साथ सीमा विवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी का तर्क था कि सरकार सीमा की स्थिति को लेकर पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। जनरल नरवणे की यह आत्मकथा 2020 के गलवान संघर्ष और लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध से जुड़े संवेदनशील विवरणों को शामिल करती है। पुस्तक 2024 से प्रकाशन के लिए लंबित है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ हिस्से हैं, जिन्हें मंजूरी की आवश्यकता है। वही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसी पुस्तक के आधार पर लोकसभा में मामला उठाया था और चीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने यह भी कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। दरअसल, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी अभी प्राप्त नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इसी आधार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। दूसरी तरफ उक्त पुस्तक का हवाला देकर संसद में शुरू हुई बहस के दौरान राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए, तो उन्होंने मर्यादाओं की सीमा लांघ दी। उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार के इतिहास को कुरेदते हुए ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें विपक्ष ने 'अश्लील' और 'अभद्र' करार दिया है। दुबे ने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के कार्यकाल की नीतियों की आलोचना करते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगाए। ज्ञात हो कि संसद के बजट सत्र में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों-पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव

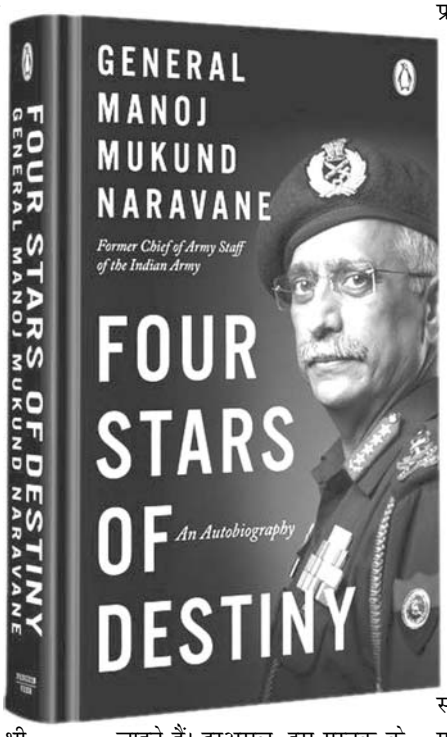

गांधी को लेकर विवादित और अभद्र टिप्पणियां कीं। यह पूरा मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चीन सीमा विवाद को लेकर उठाए गए सवालों के बाद शुरू हुआ। इस मामले में निशिकांत दुबे कई किताबें भी संसद लेकर पहुंचे। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के दो मिनट चौंतीस सेकंड के वीडियो में वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को गद्दार और अय्याश तक कह रहे हैं। वो यहीं नहीं रुकते इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बारे में अश्लील और अभद्र टिप्पणी भी सदन में किया।

बहरहाल, पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की पुस्तक के मामले में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार फोरम पर उपलब्ध जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया था कि किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की प्रकाशन से पहले की प्रति प्रसारित की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसी शीर्षक वाली एक टाइपसेट की हुई किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जिसे कथित तौर पर पेंगुइन रेंडम हाउस द्वारा तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का तैयार कवर भी प्रदर्शित किया गया है। इसे इस तरह प्रदर्शित किया गया है, मानो यह पुस्तक खरीद के लिए उपलब्ध हो। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए आवश्यक मंजूरी मिलना अभी बाकी है। वही पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ किया कि जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' अभी प्रकाशित नहीं हुई है। किसी भी पीडीएफ या कॉपी का प्रसार अवैध है। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा किताब दिखाने के बाद विवाद और गहरा गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। पेंगुइन के इस बयान से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्होंने संसद में यह किताब दिखाई थी। वे इसे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट भी करना चाहते थे। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्पष्ट किया है कि इस किताब के एकमात्र प्रकाशन अधिकार उनके पास हैं, लेकिन यह किताब अब तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। न तो इसकी कोई छपी हुई प्रति और न ही डिजिटल संस्करण (ई-बुक, पीडीएफ आदि) बाजार में जारी किया गया है। प्रकाशक ने कहा कि अगर किताब की कोई प्रति, पूरी या आंशिक, किसी भी रूप में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी साफ किया कि किताब के अवैध और अनधिकृत प्रसार के खिलाफ वे कानून के तहत उपलब्ध सभी कदम उठाएंगे। पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की पुस्तक के मामले में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार फोरम पर उपलब्ध जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा

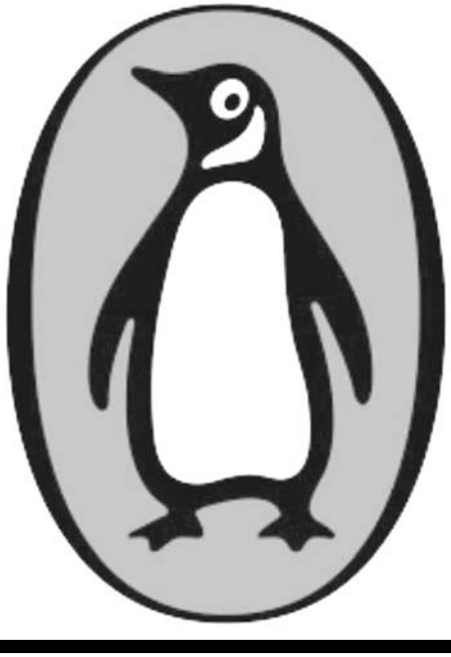

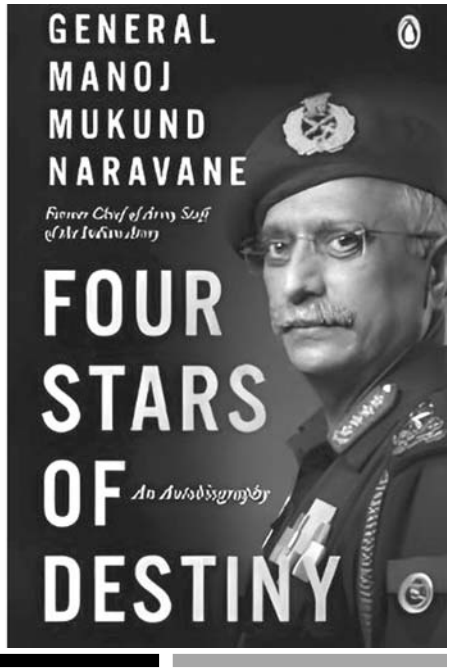

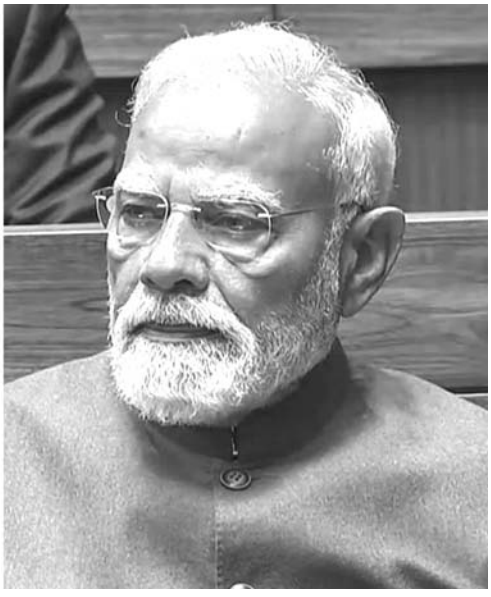

किया गया था कि किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की प्रकाशन से पहले की प्रति प्रसारित की जा रही है। वही राहुल गांधी ने कहा कि प्रकाशक (पेंगुइन) दावा कर रहा है कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसकी कोई भी कॉपी बाजार में नहीं है। राहुल गांधी का तर्क है कि या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व सेना प्रमुख पर भरोसा है, वे झूठ नहीं बोलेंगे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन को लेकर विवाद बढ़ गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि किताब अमेजन पर उपलब्ध है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। राहुल ने कहा कि नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मेरी किताब के लिंक पर क्लिक करें।' मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि या तो श्री नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन प्रकाशन कंपनी। मुझे नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। पेंगुइन प्रकाशन कंपनी का कहना है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जबकि अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है, 'कृपया 2023 में मेरी किताब खरीदें।' मैं पेंगुइन प्रकाशन कंपनी के मुकाबले नरवणे जी पर अधिक विश्वास करता हूं। क्या आप नरवणे जी के मुकाबले पेंगुइन प्रकाशन कंपनी पर अधिक विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक हैं। जाहिर है, आपको यह तय करना होगा कि पेंगुइन प्रकाशन कंपनी या पूर्व सेना प्रमुख में से कौन सच बोल रहा है। राहुल ने कहा कि यूएसए के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसका कारण समझने के लिए आप इस पोस्टर को देख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है।

गौरतलब है कि, पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद तेज हो गया है। अपनी संस्मरण पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर संसद में मचे हंगामे के बीच पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रकाशक के उस दावे की पुष्टि की है कि उनकी किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब राहुल गांधी को संसद परिसर में इस पुस्तक की एक प्रति के साथ देखा गया था, जिसके बाद इस संस्मरण की स्थिति और इसके प्रसार को लेकर राजनीतिक और कानूनी जांच तेज हो गई है। प्रकाशक 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस पुस्तक के विशेष प्रकाशन अधिकार हैं और यह अभी तक बाजार में नहीं आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में कथित रूप से अप्रकाशित पुस्तक लहराने के बाद बढ़े विवाद पर प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सफाई के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रकाशक ने एक बयान में कहा कि इस पुस्तक की कोई भी प्रति, चाहे वह प्रिंट हो या डिजिटल, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित, वितरित या जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। जनरल नरवणे ने सोशल मीडिया पर प्रकाशक के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा कि किताब की वर्तमान स्थिति यही है। यह स्पष्टीकरण दिल्ली पुलिस द्वारा अप्रकाशित पांडुलिपि के डिजिटल और अन्य माध्यमों से अवैध प्रसार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आया है। जनरल नरवणे का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उन टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने जनरल के दिसंबर 2023 के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था। उस पोस्ट में जनरल ने कहा था कि किताब 'अब उपलब्ध है'। राहुल गांधी ने इसी आधार पर प्रकाशक के दावों को चुनौती दी थी। वही राहुल गांधी ने जिस किताब का हवाला दिया है, उसमें 2020 की गलवान झड़प, एलएसी पर चीन के

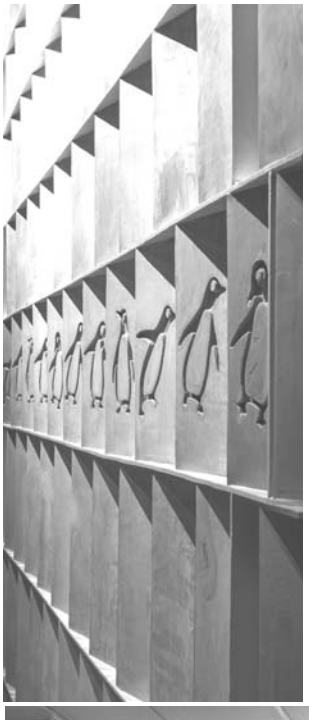

साथ सैन्य गतिरोध और सरकार की 'अग्निवीर योजना' से जुड़े अंश शामिल हैं। इन अंशों से सरकार की नीतियों और सेना के बीच मतभेदों के संकेत मिलते हैं। विपक्ष विशेष रूप से अगस्त 2020 के उस घटनाक्रम पर सरकार को घेर रहा है, जब जनरल नरवणे कथित तौर पर सरकार के स्पष्ट निर्देशों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ठोस आदेश नहीं मिले। फिलहाल न तो प्रकाशक और न ही पूर्व सेना प्रमुख ने यह स्पष्ट किया है कि रक्षा मंत्रालय से क्लीयरेंस न मिलने के बावजूद यह किताब राहुल गांधी तक कैसे पहुँची। पेंगुइन रैंडम हाउस ने चेतावनी दी है कि इस पुस्तक का कोई भी अंश या प्रति, जो वर्तमान में प्रिंट, डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में प्रसारित हो रही है, वह कॉपीराइट का उल्लंघन है। अवैध प्रसार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विदित हो कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन से पहले कथित तौर पर लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने प्रकाशक 'पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया' को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक स्पेशल सेल की एक टीम गुरुग्राम में पेंगुइन इंडिया के दफ्तर पहुंची थी। स्पेशल सेल ने इस नोटिस के जरिए प्रकाशन गृह से कई सवाल पूछे हैं और उनके प्रतिनिधियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। बता दें कि किताब के प्रेस में जाने से पहले ही इसके कुछ अंश लीक होने के आरोप में पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था। यह विवाद मुख्य रूप से किताब में 2020 की गलवान घाटी झड़प के घटनाक्रमों के वर्णन को लेकर उपजा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दर्ज एफआईआर में अब 'आपराधिक साजिश' से जुड़ी धाराएं भी जोड़ दी हैं। इसके साथ ही जांच का दायरा काफी बढ़ गया है। स्पेशल सेल अब डिजिटल साक्ष्यों और इस कथित लीक से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। वही विवाद बढ़ता देख पेंग्विन रैंडम हाउस ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। प्रकाशक ने कहा कि किसी किताब की घोषणा करना या उसे 'प्री-ऑर्डर' के लिए उपलब्ध कराने का मतलब यह नहीं है कि किताब प्रकाशित हो चुकी है।

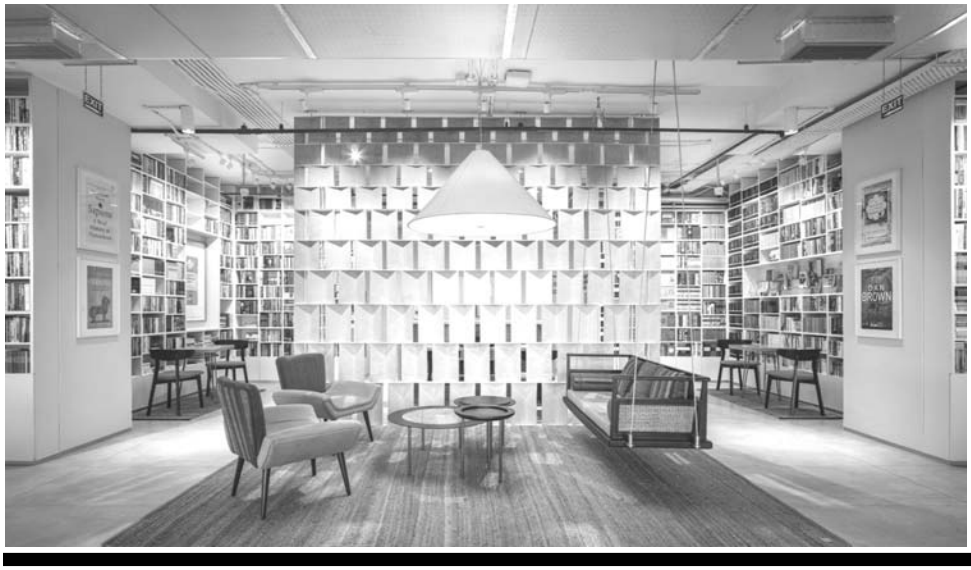

Brajesh Pathak Hosts 101 Brahmin Students Amid Controversy Over Shankaracharya Incident

Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak has been in the spotlight recently due to his support for Shankaracharya Avimukteshwaranand and the Brahmin community. Although Pathak had remained silent on the ongoing controversy surrounding Shankaracharya for a month, he spoke publicly for the first time two days ago, condemning the incident where the braid of a sadhu was allegedly pulled.

In a media event, Pathak stated, "The braid of the sadhus should not have been pulled. Whoever is guilty should be severely punished. Pulling the braid is a grave crime. It will be a grave sin." While he did not explicitly mention Shankaracharya, many believe his statement was aimed at addressing the growing discontent within the Brahmin community, following the incident at the Prayagraj Magh Mela on January 18, where a disciple of Shankaracharya Avimukteshwarananda was dragged and beaten by the police. The video of this incident went viral, intensifying anger among the Brahmins, especially in Uttar Pradesh.

Amidst this growing anger, Pathak, along with his wife Namrata Pathak, invited 101 Brahmin students to his official residence in an apparent attempt to placate the community. The couple welcomed the students with tilaks, folded hands, and flowers, as the students chanted Vedic mantras. Later, in a tweet, the Deputy CM expressed his gratitude, saying, "Respect for the children is our good fortune. Today, the divinely adored young Brahmins have blessed us and our home by visiting our residence as guests. I, along with my wife, cordially welcomed and greeted all the Brahmins and received their blessings. I am grateful for your love, kindness, and blessings. Such sacred moments are always memorable. May this invaluable heritage of our culture always remain safe and prosperous."

This event comes in the wake of controversy surrounding the UGC and the Avimukteshwarananda issue, which have upset the Brahmin community. Pathak, a prominent Brahmin leader of the BJP, had faced criticism for his silence on these matters. Sources suggest that the recent gesture was an effort to rebuild trust and show solidarity with the Brahmin community.

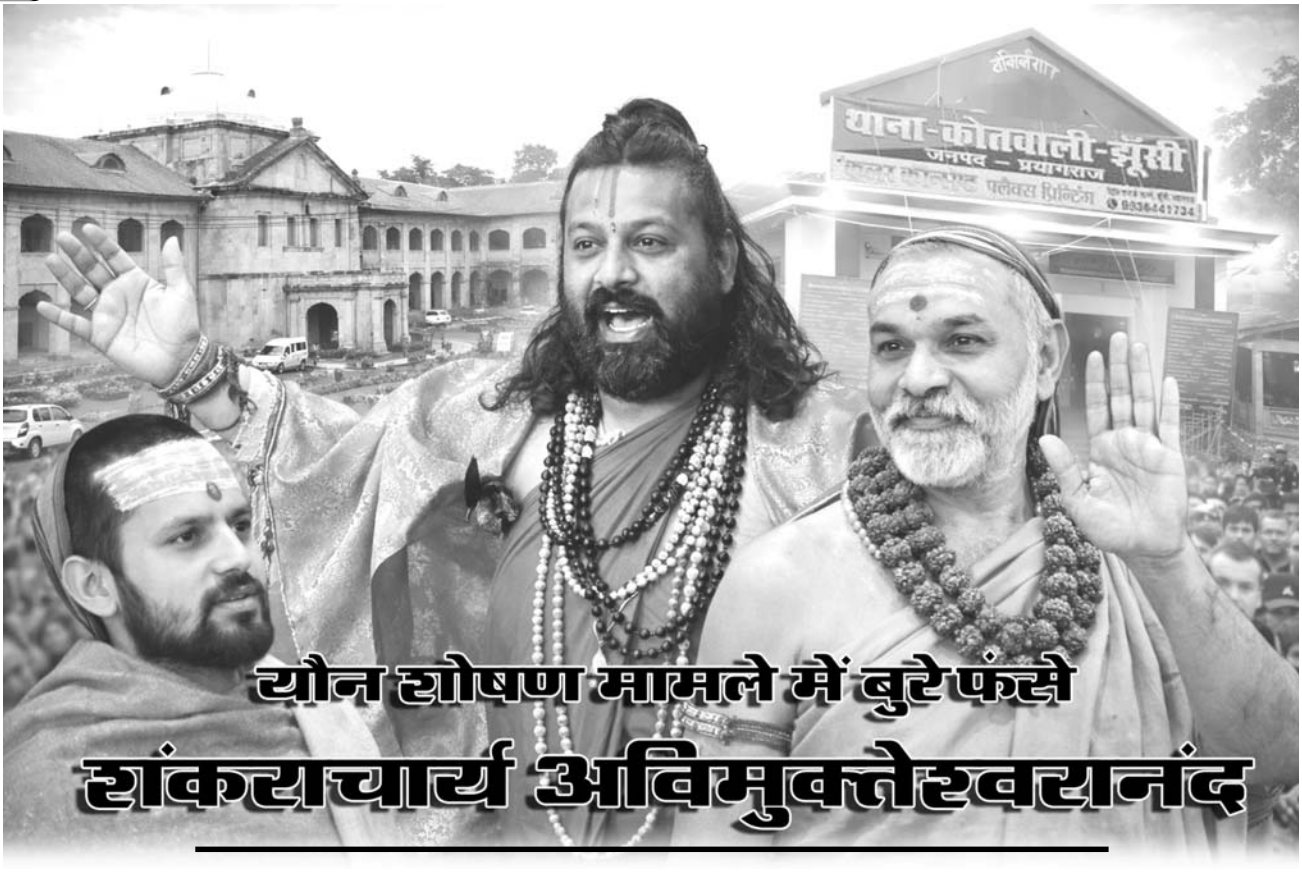

यौन शोषण मामले में बुरे फंसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

हा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराछ है, उसने 20 से ज्यादा बच्चों के साथ कुकर्म किया है। इस वीडियो में आशुतोष महाराज ने कहा कि जो कि मेरी जानकारी में हैं, जो रो रहे हैं और जिनके पेट भी खराब हो चुके हैं। मुझे बच्चों ने बताया और उनका दूसरा चेला है मुकुंदानंद, वो हमें इनके पास भेजता था। दरअसल, अपने एक वीडियो में उन्होने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में आशुतोष महाराज कहते हैं कि उनको महाराछ कहिए, छोटे-छोटे बच्चों का कुकर्म करता है। इतना ही नहीं इस वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे जेल भेज दिया जाए वरना इस कुकर्मी को जेल भेजो, छोड़ो मत उस गंदे आदमी को। इस मामले को लेकर आशुतोष महाराज ने 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शिकायत यानी वाद दायर किया था। अपने आरोपों के पक्ष में उन्होंने 2 नाबालिग पीड़ित बच्चों की पेशी भी कराई। दूसरी तरफ प्रयागराज कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। खबरों के अनुसार, आरोप लगाने वाले नाबालिगों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। इस मुद्दे पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर आरोप लगाए गए है। हम इसका प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

बताते चले कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 और हाल ही में खत्म हुए माघ मेला के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि 2 पीड़ितों ने मामले में उनसे मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने बच्चों की पूरी बात सुनकर झूंसी थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया। वही अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो एक्ट मेरे ऊपर लगाया गया है, इस एक्ट में यह नियम है कि न तो बच्चे की पहचान को उजागर किया जाए और न ही किसी दूसरे की पहचान को सामने लाया जाए। फिर भी ऐसा किया जा रहा है। यह सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब चूकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य

आशुतोष ब्रह्मचारी

शंकराचार्य
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

मुकुंदानंद गिरी

मुकुंदानंद का भी नाम है। इस मामले में धारा 173(4) के तहत अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अब पुलिस को कार्यवाही का निर्देश दिया था। ज्ञात हो कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। अदालत ने 13 फरवरी को अपना आदेश रिजर्व रख लिया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने यौन शोषण के आरोपों के संबंध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का बड़ा आदेश दिया था। मीडिया खबरों के मुताबिक एडीजे (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को स्पष्ट आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाए।

गौरतलब है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हालिया विवादों पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कानून का सम्मान करते हैं और यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है, तो वे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। उनका कहना है कि 'सत्य' को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। स्वामी जी ने कहा कि प्रयागराज में हर कोने पर प्रशासन

विनोद कुमार
एडीजे (पॉक्सो एक्ट), प्रयागराज

ने सीसीटीवी लगाए हैं। अगर कोई घटना हुई है, तो वह 'वॉर रूम' के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लड़कों का नाम विवाद में घसीटा जा रहा है, वे कभी उनके गुरुकुल के छात्र नहीं रहे। मार्कशीट के अनुसार वे हरदोई के एक स्कूल के छात्र हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोग हिंदू का चोला पहनकर सनातन धर्म को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य और उनके अनुयायियों ने पालकी में बैठकर संगम में स्नान का प्रयास किया। प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा कारणों से इसे रोक दिया था। पुलिस ने उनसे कहा कि उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। रोकते समय कुछ स्थानों पर शंकराचार्य के अनुयायियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई और तनाव बढ़ा। शंकराचार्य ने इसे अनुचित रोकथाम और अपमान बताया। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई अपमान नहीं किया गया। केवल भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा तथा नियमों के कारण ऐसा किया गया। मुझसे गंगा स्नान का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार छीना जा रहा है। क्या अब साधु-संतों को गंगा स्नान के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी होगी? यह संतों का अपमान है। इस घटना के बाद वे बिना अन्न-जल ग्रहण किए धरने पर बैठ गए थे। इस बीच, प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी जारी किया।

बहरहाल, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे स्वामी शंकराचार्य

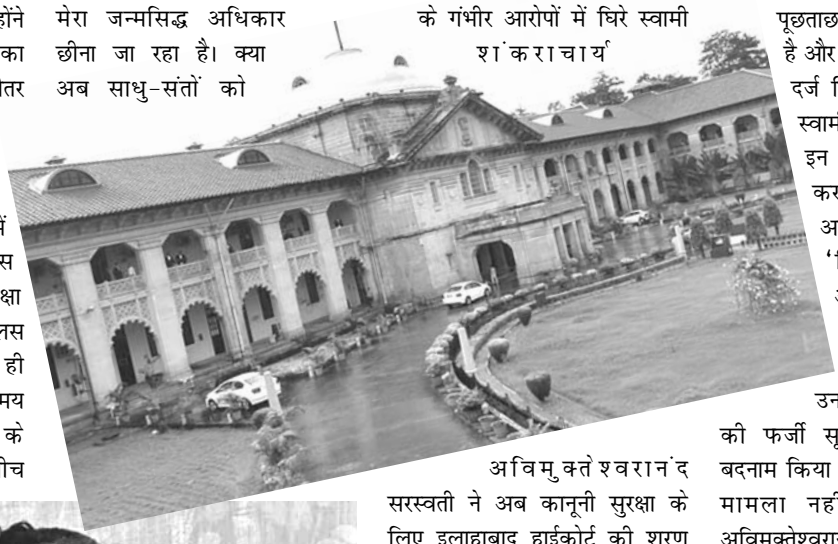

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब कानूनी सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट समेत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है, जो इस विवाद को एक नया मोड़ दे सकती है। दरअसल, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर एडीजे (रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट) ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में झूंसी पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच, पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। वही घटनास्थल का निरीक्षण कर 'नजरी नक्शा' तैयार किया गया। अब पुलिस की एक टीम वाराणसी स्थित मठ में पूछताछ के लिए जा सकती है और पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज किए जाएंगे। हालांकि, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को साजिश करार दिया है। साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी को 'हिस्ट्रीशीटर' बताया है। आशुतोष ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमों की फर्जी सूची तैयार कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में आए हैं। माघ मेले के दौरान गंगा स्नान को लेकर भी उनका स्थानीय प्रशासन क साथ विवाद हुआ था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उन्होंने खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसे कई अन्य संतों और अखाड़ों ने मान्यता नहीं दी थी। उस समय यह मामला कोर्ट भी पहुंचा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने शास्त्र सम्मत विधि का हवाला देते हुए कहा था कि 'अधूरे मंदिर' में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसे विशुद्ध रूप से धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन बताया था।

India's First Bullet Train to Use Japanese J-Slab Tech; Mumbai–Ahmedabad in 2 Hours

India's maiden Bullet Train project will introduce the advanced Japanese J-Slab ballastless track system on the 508-km Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) corridor, marking a major leap in railway technology, officials said. The high-speed corridor, connecting Maharashtra and Gujarat, will link Thane, Virar, Boisar, Vapi, Bilimora, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand and Ahmedabad before terminating at Sabarmati. With limited halts at Surat, Vadodara and Ahmedabad, the total travel time is expected to be approximately 2 hours and 7 minutes — significantly faster than conventional rail or road journeys.

Principal Chief Project Manager Rajesh Aggarwal said this is the first time the J-Slab ballastless track system, derived from Japan's Shinkansen technology, is being used in India. The track installation process is fully mechanised with specialised equipment designed as per Japanese standards. Machines such as Rail Feeder Cars, Track Slab Laying Cars, CAM Laying Cars and Flash Butt Welding Machines will be deployed for construction. Indian engineers and technicians are also undergoing extensive training and certification programmes conducted by Japanese experts to master Shinkansen track methodology. Spanning 508 km, the corridor will feature 28 major steel bridges with spans ranging between 60 and 130 metres, crossing highways, rivers, irrigation canals and railway lines. Around 90 per cent of the alignment is elevated and is being constructed using the Full Span Launching Method (FSLM), a technique being used in India for the first time. Officials say FSLM is nearly 10 times faster than conventional segmental construction for viaducts.

The project will also include eight mountain tunnels built using the New Austrian Tunnelling Method (NATM). A highlight of the alignment is a 21-km tunnel section, including India's first 7-km undersea tunnel beneath Thane Creek. This stretch will combine NATM for 5 km and Tunnel Boring Machines (TBMs) for the remaining 16 km. Stations along the corridor are being designed as integrated transport hubs, connecting seamlessly with metro networks, buses, taxis and auto-rickshaws to ensure smooth last-mile connectivity. Advanced safety systems will include rail temperature monitoring, early earthquake detection, wind speed monitoring and rainfall monitoring mechanisms. The project's estimated cost is Rs 1,08,000 crore (approximately USD 17 billion), excluding taxes. It is being funded largely through Official Development Assistance (ODA) loans from the Japan International Cooperation Agency (JICA). Officials said the Bullet Train project is expected to stimulate economic growth, create employment during construction and operations, attract investment, boost 'Make in India', enhance mobility, reduce travel time and promote tourism. The corridor is being implemented by the National High-Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL), incorporated in 2016 to finance, construct and manage high-speed rail projects in India. The first phase is expected to be operational by August 2027, with the full corridor likely to be completed by 2029.

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

★ एलिबाई कानून क्या है?

'अलीबाई' (अलीबी) या 'प्ली ऑफ एलिबाई' (प्ली ऑफ अलीबी) कानून की एक ऐसी प्रतिरक्षा (डिफेंस) है, जिसका उपयोग आरोपी व्यक्ति यह साबित करने के लिए करता है कि अपराध होने के समय वह घटनास्थल पर नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह पर था। यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'अन्यत्र' (somewhere else)।

❖ **अलीबाई कानून के बारे में मुख्य बातें :**-कानूनी आधार: पहले यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 (सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट) के तहत आता था। अब, नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) की धारा 9 में इसे शामिल किया गया है।

☞ **उद्देश्य :**- जब अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) आरोप लगाता है, तो आरोपी यह दलील देता है कि वह अपराध के समय घटना स्थल से इतना दूर था कि उसका अपराध में शामिल होना असंभव या अत्यधिक असंभव (हाइली इम्प्रोबेबल) था।

☞ **सबूत का भार :**- अलीबाई का दावा करने पर, इसे साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आरोपी पर होती है (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के तहत)।

☞ **आवश्यकता :**- आरोपी को सबूत (जैसे सीसीटीवी फुटेज, टिकट, होटल रसीद, या गवाह) के साथ यह साबित करना पड़ता है कि वह अपराध के समय वास्तव में दूसरी जगह मौजूद था।

❖ **महत्वपूर्ण बिंदु :-**

दूरी :-सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह साबित करने के लिए कि आरोपी घटनास्थल पर नहीं था, उसके लिए घटना के समय एक तर्कसंगत दूरी (आमतौर पर 500 मीटर से अधिक) पर होना जरूरी है।

☞ **समय :**- यह दलील जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए। अगर इसे बहुत बाद में उठाया जाता है, तो अदालत इसे 'बाद का विचार' (आफ्टथॉट) मानकर खारिज कर सकती है।

☞ **निर्दोषता :**-यदि अलीबाई सफलतापूर्वक साबित हो जाती है, तो यह आरोपी की निर्दोषता साबित करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। संक्षेप में, अलीबाई कानून का मतलब है: 'मैं वहां नहीं था, क्योंकि मैं कहीं और था।'

★ बैंक लोन लेने वाले कस्टमर के विधिक अधिकार क्या है ?

बैंक लोन लेने वाले ग्राहक (उधारकर्ता) के पास आरबीआई (आरबीआई). के दिशानिर्देशों के अनुसार कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार हैं, जैसे सम्मानजनक व्यवहार, लोन की शर्तों के बारे में जानकारी, रिकवरी एजेंटों द्वारा बदसलूकी न किए जाने का अधिकार, संपत्ति के बदले लिए गए लोन में बची हुई राशि वापस पाने का अधिकार, और शिकायत दर्ज करने का अधिकार।

❖ **बैंक लोन लेने वाले कस्टमर के प्रमुख कानूनी अधिकार :-**

☞ **रिकवरी एजेंटों से सुरक्षा :**-रिकवरी एजेंटों को आपको डराने-धमकाने, अपशब्द कहने या अजीब समय पर (सुबह-शाम) कॉल/घर आने का अधिकार नहीं है। उन्हें आपसे सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए।

☞ **लोन के नियमों की पूरी जानकारी :**-बैंक को आपको लोन से जुड़ी सभी ब्याज दरों, अतिरिक्त शुल्कों, और नियमों (टर्म्स - कंडीशंस) की लिखित जानकारी देनी अनिवार्य है, जिसमें एपीआर (अप्रैल) भी शामिल है।

☞ **नोटिस का अधिकार :**-लोन डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति कुर्क करने या बेचने से पहले बैंक को आपको लिखित में उचित नोटिस देना अनिवार्य है, ताकि आपको लोन चुकाने का मौका मिल सके।

☞ **डेटा गोपनीयता :**-आपकी सहमति के बिना, बैंक आपकी वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर सकता है।

☞ **शिकायत दर्ज करना :**- यदि बैंक या उसके एजेंट दुर्व्यवहार करते हैं या आरबीआई (आरबीआई) के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप बैंक के नोडल अधिकारी के पास, और वहां से समाधान न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल (बैंकिंग ओम्बड्समैन) के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

☞ **संपत्ति की बिक्री में सरप्लस राशि :**- यदि आपका गिरवी रखा सामान (एसेट) बेचा जाता है, तो लोन राशि काटने के बाद बची हुई रकम आपको वापस मिलनी चाहिए।

☞ **असहज स्थिति में बातचीत :**- यदि आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं, तो आप बैंक से पुनर्भुगतान योजना (रिस्ट्रक्चरिंग) या वन टाइम सेटलमेंट (ओट्स) के लिए बातचीत कर सकते हैं।

☞ **ध्यान रखें :**-यदि रिकवरी एजेंट बदसलूकी करते हैं, तो आप उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (फिर) दर्ज करा सकते हैं।

★ जीरो एफ.आई.आर.क्या होता है?

जीरो एफआईआर वह शिकायत है जिसे आप किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध आपके क्षेत्राधिकार (जूरिडिक्शन) में न हुआ हो, और इसे कोई नंबर (जैसे 0) नहीं मिलता, बल्कि संबंधित थाने में भेज दिया जाता है, जहाँ असली एफआईआर दर्ज होती है और जांच शुरू होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें क्षेत्राधिकार के कारण चक्कर न लगाने पड़ें।

☞ **कहीं भी दर्ज कर सकते हैं मुकदमा :**-जब कोई अपराध आपके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, तब भी आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

☞ **कोई नंबर नहीं :**-इसे 'जीरो' इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई नियमित एफआईआर नंबर नहीं होता.

☞ **स्थानांतरण (ट्रांसफर) :**- जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद, पुलिस इसे उस थाने को भेज देती है जहाँ अपराध हुआ था.

☞ **तत्काल कार्रवाई :**-इससे पीड़ित को न्याय मिलने में देरी नहीं होती और पुलिस को तुरंत जांच शुरू करने का मौका मिलता है.

❖ **जीरो एफ.आई.आर क्यों महत्वपूर्ण है :-**

☞ **त्वरित न्याय :**- यह पीड़ित को न्याय दिलाने में तेजी लाता है, खासकर यौन हिंसा जैसे गंभीर मामलों में।

☞ **अधिकार क्षेत्र की बाधा खत्म :**-यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्राधिकार के कारण कोई भी पुलिसकर्मी शिकायत दर्ज करने से मना न करे। नया कानून (बीएनएस) क्या कहता है? नए कानून के तहत, पुलिस किसी भी जीरो एफआईआर को लिखने से मना नहीं कर सकती है और इसे 15 दिनों के भीतर मूल क्षेत्राधिकार वाले थाने में भेजना होगा, और पीड़ित को एफआईआर की कॉपी भी मिलेगी।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यता:-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नातक उतीर्ण	स्नातक/इंटर	स्नातक/इंटर/मैट्रिक	स्नातक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करे:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
WD
Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008